

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—मा / पीएसपी—सी / अ—२ / ६०५६६ / वो—१ / २०२४—२५

दिनांक : २७.१०.२३

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा

समर्त

विषयः— सत्र 2024—25 में नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/माध्यम, नाम, भवन/स्थान, वर्ग परिवर्तन/अति.विषय, अति.संकाय, अति माध्यम/प्रबन्ध अन्तरण/मान्यता समर्पण/नाम परिवर्तन/वर्चुअल विद्यालय मान्यता/एनओसी आदि के आवेदित प्रकरणों के संबंध में।

संदर्भः— सत्र 2024—25 हेतु मान्यता/क्रमोन्नति आदि बाबत जारी विज्ञाप्ति दिनांक ०८.१०.२०२३

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य में संचालित गैर सरकारी विद्यालयों की सत्र 2024—25 में नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/माध्यम, नाम, भवन/स्थान, वर्ग परिवर्तन/अति.विषय, अति.संकाय, अति माध्यम/प्रबन्ध अन्तरण/मान्यता समर्पण/नाम परिवर्तन/वर्चुअल विद्यालय मान्यता/एनओसी हेतु जारी विज्ञाप्ति दिनांक ०८.१०.२०२३ के टाईम—फेम के क्रम संख्या ०४ को विलोपित कर गत सत्र की भाँति ऑनलाइन लॉक आवेदन हेतु गठित निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण करने उपरांत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से आवेदन पत्रावली को जांच किये जाने की प्रक्रिया को ही यथावत रखा गया है। अतः मान्यता/क्रमोन्नति आदि दिये जाने के संबंध में विगत सत्र के मापदण्डों के अनुसार ही आवेदन पत्रावलियों की जांच कर, निर्धारित टाईम—फेम के अनुसार पत्रावलियों को अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करायें।

संलग्न—

- विज्ञाप्ति टाईम—फेम 2024—25
- गत सत्र में निर्धारित दिशा—निर्देश / मापदण्ड

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप—५) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
- राज्य समन्वयक प्राइवेट स्कूल पोर्टल सेन्ट्रल सैल, शिक्षा संकुल जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

Signature valid

RajKai Ref
4980577



Digital signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.10.27 19:12:06 IST
Reason: Approved

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य/पीएसपी—सी/अ—२/६०५६६/वो—१/२०२४—२५

दिनांक : ०८.१०.२०२३

विज्ञाप्ति

शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए गैर सरकारी क्षेत्र में संचालित विद्यालयों की प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता, उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति तथा विद्यमान गैर सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय/माध्यम तथा भवन/स्थान/वर्ग/नाम/माध्यम परिवर्तन, वर्चुअल विद्यालय मान्यता, प्रबन्ध अन्तरण, मान्यता समर्पण एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से संबंधित प्राप्त किए जाने हेतु इनओसी आदि हेतु इच्छुक संस्थाओं से अग्रांकित टाईमफ्रेम के अनुसार ऑन लाइन आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं—

विज्ञाप्ति टाईम-फ्रेम


क्र. सं.	गतिविधि	टाईम फ्रेम	संबंधित कार्यालय
1.	निदेशालय द्वारा विज्ञाप्ति जारी करना	08.10.2023	निदेशालय
प्रथम भाग – दस्तावेज सत्यापन			
2.	गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑन लाइन आवेदन कर समस्त पत्रावली स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड कर आवेदन शुल्क ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुए आवेदन मय समस्त सूचना लॉक करना।	18.10.2023 से 31.03.2024	सम्बंधित संस्था
3.	विद्यालय द्वारा लॉक आवेदन में किसी प्रकार के संशोधन की कार्यवाही	आवेदन लॉक करने की तिथि से 05 दिवस की अवधि तक	संबंधित संस्था
4.	लॉक आवेदन एवं अपलोडेड दस्तावेजों का सत्यापन	संशोधन अवधि पश्चात 15 दिवस के भीतर	संबंधित जिशिअ(मु) प्रारम्भिक/माध्यमिक
द्वितीय भाग – भौतिक निरीक्षण			
4.	दस्तावेज सत्यापन पश्चात निदेशालय से फारवर्ड पत्रावली में विद्यालय द्वारा आवेदन अनुसार शेष शुल्क ऑनलाइन ई-ग्रास के माध्यम से शुल्क जमा करवा दिये जाने की स्थिति में ऑटो जेनरेटेड निरीक्षण दल का गठन।	जिशिअ द्वारा दस्तावेज सत्यापन उपरान्त एवं शेष शुल्क जमा करवाये जाने पश्चात से लगातार....	एनआईसी एवं निरीक्षण दल
5.	निरीक्षण दल प्रभारी द्वारा भौतिक सत्यापन 07 दिवस में कर निरीक्षण प्रतिवेदन की रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड मय अभिशंषा करना व विद्यालय द्वारा अपलोड की गई पत्रावली की हार्ड कॉपी विद्यालय से प्राप्त कर सम्पूर्ण तथ्यों के क्रम में परीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन पत्रावली की हार्ड कॉपी सहित 02 दिवस (निरीक्षण उपरान्त) में जिशिअ कार्यालय में जमा करवाना।	दल गठन के 7 दिवस के भीतर	संबंधित संस्था, निरीक्षण दल एवं संबंधित जिशिअ कार्यालय
6.	प्रकरण का परीक्षण – निरीक्षण दल द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मय पत्रावली प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर प्राप्त पत्रावली का पूर्ण परीक्षण करना। परीक्षण कर आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में पोर्टल पर अपनी नियमसंगत स्पष्ट अनुशंषा सहित निदेशालय को अग्रेषित करना एवं निरीक्षण	निरीक्षण दल द्वारा पत्रावली जमा करवाने के 15 दिवस के भीतर	संबंधित जिशिअ प्रार./माध्यमिक एवं संबंधित संस्था

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

	प्रतिवेदन एवं पेन ड्राइव विडियो निदेशालय को वाहक स्तर पर उपलब्ध करवाना।		
7.	निदेशालय द्वारा मान्यता/क्रमोन्नति हेतु अनुमोदन जारी करना।	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पत्रावली निदेशालय स्तर पर ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी प्राप्त होने की दिनांक से लगातार	निदेशालय माशि./प्राशि. राजस्थान
09	निदेशालय द्वारा अनुमोदन किए जाने के उपरांत पात्र संस्थाओं से सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में डीडी प्राप्त करना।	निदेशालय से अनुमोदन उपरान्त 15 दिवस की अवधि में	संबंधित संस्था एवं कार्या. जिशिआ. प्राशि/माशि मुख्यालय
10	मान्यता आदेश/निरस्त आदेश/संबद्धता हेतु एनओसी जारी कर विद्यालयों को उपलब्ध करवाना।	निदेशालय स्तर से अनुमोदन की दिनांक से 10 दिवस के भीतर	निदेशालय माशि/कार्यालय जिशिआ. प्राशि/माशि. मुख्यालय
तृतीय भाग – अपील सुनवाई			
11	निदेशालय माशि/संबंधित जिशिआ कार्यालय द्वारा निरस्ती प्रमाण पत्र जारी किये जाने पश्चात पोर्टल द्वारा ऑनलाईन माध्यम से निर्णय के विरुद्ध शासन स्तर पर अपील प्रस्तुत करना।	निरस्ती प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर	शासन स्तर पर

- नोट: 1. विद्यालयों द्वारा कैलेण्डर की पालना नहीं करने की स्थिति में आवेदन हेतु स्वतः ही अपात्र हो जायेंगे।
 2. उक्त संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।

आज्ञा से


 १८.१०.२०२३
 जिला शिक्षा अधिकारी (पीएसपी)
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
 बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषितः—

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
- सिस्टम एनालिस्ट (कम्प्यूटर अनुभाग) को विज्ञप्ति टाईमफ्रेम विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


 जिला शिक्षा अधिकारी (पीएसपी)
 माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
 बीकानेर

गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाइन मान्यता / क्रमोन्ति दिये जाने संबंधी दिशा-निर्देश (2023-24)

अध्याय-1 : परिचय

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्ते आदि) नियम, 1993 में विभिन्न स्तर की गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने का प्रावधान है। राज्य में इन अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की 40000 हजार से अधिक संस्थाएँ संचालित हैं। इन संस्थाओं का राज्य में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन संस्थाओं की अनुभूत कठिनाइयों तथा विभाग की आवश्यकताओं को देखते हुए समय-समय पर अधिनियम एवं नियमों के दायरे में अनेक अधिसूचनाओं में संशोधन, नई आज्ञा एवं नए आदेश जारी किए गए हैं। गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की सुविधा तथा विभागीय कार्यालयों के कार्य को सुगम एवं पारदर्शी बनाने की दृष्टि से शैक्षिक सत्र 2016-17 से समस्त प्रकार की मान्यताओं को ऑनलाइन किया गया है। शैक्षिक सत्र 2023-24 में ऑनलाइन मान्यता / क्रमोन्ति आदि हेतु शैक्षिक संस्थाओं एवं विभागीय कार्यालयों के लिए करणीय कार्यों के सम्बन्ध में राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 तथा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं / आदेश / परिपत्रों के आधार पर तैयार कर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। यदि इन दिशा निर्देशों में और मूल अधिनियम / नियम / अधिसूचना / आदेश / परिपत्रों में कोई विसंगति / उल्लेख नहीं होने पर मूल अधिनियम / नियम / अधिसूचना / आदेश / परिपत्र ही मान्य होंगे।

ध्यातव्य बिन्दुः-

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को नवीन मान्यता/क्रमोन्ति, अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय/नाम/स्थान/वर्ग परिवर्तन/दो पारी संचालन/वर्चुअल विद्यालय मान्यता आदि के प्रकरणों के संबंध में पूर्व सत्र में जारी दिशा-निर्देशों की समीक्षोपरान्त उनमें आवश्यक संशोधन करते हुए निम्न दिशा-निर्देश सम्मिलित किये गये हैं-

1. शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक : शिविरा-मा/पीएसपी/60572/8/राअनुजाआ/सामाजिक समानता/2022 दिनांक 22.08.2022 की अनुपालना में संस्था/विद्यालय द्वारा आवेदन करने पर पत्रावली के साथ जातिगत भेदभाव नहीं करने का एवं संस्था द्वारा साम्प्रदायिक व राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने का शपथ पत्र (100 रुपये के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पर) प्रस्तुत करना होगा।
2. गत सत्रों में किसी भी संस्था/विद्यालय द्वारा पूर्व में अतिरिक्त माध्यम के लिए आवेदन किया जाता था तब स्वीकृति मान्यता/क्रमोन्ति आदि प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विद्यालय से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। सत्र 2023-24 से अतिरिक्त माध्यम के लिए आवेदन करने वाले विद्यालयों

(भ)

को स्वीकृति हेतु मान्यता प्रमाण पत्र लेने से पूर्व सचिव, बालिका शिक्षा फाउन्डेशन, जयपुर के नाम से निम्नानुसार निर्धारित शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट लिया जाएगा –

कक्षा (अतिरिक्त माध्यम)	शुल्क
1–5	20000
1–8, 6–8	20000
1–10, 6–10, 9–10	30000
1–12, 6–12, 9–12, 11–12	30000

3. अतिरिक्त माध्यम हेतु कक्षा-कक्ष का निर्धारण पूर्व में संचालित कक्षा-कक्ष के क्रम में निम्नानुसार किया गया है—

एक माध्यम में संचालन हेतु कक्षा-कक्षों की संख्या	दोनो माध्यम में संचालन हेतु कक्षा-कक्षों की संख्या			
कक्षा स्तर	कक्षा कक्ष संख्या	समान कक्षा स्तर	भिन्न भिन्न कक्षा स्तर	कक्षा कक्ष संख्या
1–5	2	1–5	—	4
1–8	5	—	1–8 एवं 1–5	07
		1–8	—	10
1–10	14	—	1–10 एवं 1–5	16
		—	1–10 एवं 1–8	19
		1–10	—	24
		—	1–12 एवं 1–5	18
		—	1–12 एवं 1–8	21
1–12 (एक संकाय 03 विषय के साथ)	16	—	1–12 एवं 1–10	26
		1–12	—	28

नोट : उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों हेतु प्रत्येक अतिरिक्त 03 विषय—एक माध्यम हेतु अतिरिक्त 02 कक्षा-कक्षों एवं प्रत्येक अतिरिक्त 03 विषय—दोनों माध्यम हेतु अतिरिक्त 04 कक्षा-कक्षों की आवश्यकता होगी।

- यदि कोई संस्था विशेष योग्यजन (CWSN) विद्यालय के रूप में मान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करती है तो सम्बन्धित संस्था को आवेदन करने से पूर्व निदेशालय, विशेष योग्यजन, जयपुर से अनुमति/प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
- किसी भी संस्था/विद्यालय द्वारा आवेदन करने पर संलग्न पैन ड्राइव में विद्यालय की भौतिक स्थिति का विडियो, जिसमें निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण करते हुए प्रत्येक कक्षा-कक्ष, छात्र-छात्रा के लिए पृथक-पृथक शौचालय एवं मूत्रालय, पेयजल, खेल मैदान, मुख्य-द्वार, प्रयोगशाला, विद्यालय की छत व सम्पूर्ण निर्माण का आकाशीय परिदृश्य प्रदर्शित किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा।
- संस्था/विद्यालय द्वारा कक्ष 9–12 की क्रमोन्नति/स्थान परिवर्तन/दो पारी/वर्ग परिवर्तन (छात्रा विद्यालय से सह शिक्षा में परिवर्तन करने पर) सम्बन्धी आवेदन करने पर आवेदन करते समय पूर्व

शैक्षिक सत्र 2022–23 में निर्धारित आवेदन शुल्क एवं स्वीकृति शुल्क को सम्मिलित करते हुए आवेदन शुल्क विद्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन लॉक करते समय ई–ग्रास के माध्यम से लिया जाये।

7. यदि विद्यालय पूर्व में उच्च माध्यमिक स्तर की मान्यता प्राप्त है एवं वर्तमान में अतिरिक्त विषय हेतु आवेदन किया जाता है तो विद्यालय परिसर की भूमि के माप में कारपेट एरिया/फ्लोर/कुल निर्मित क्षेत्र को शामिल करते हुए भूमि की माप निर्धारित किया जायेगा अर्थात् निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भूमि की गणना में यदि विद्यालय में एक से अधिक तल का निर्माण किया गया है तो सभी निर्मित तलों का क्षेत्रफल सम्मिलित करते हुए विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल निर्धारित किया जायेगा।
8. मान्यता/क्रमोन्नति का आवेदन करते समय विद्यालय/संस्था, विद्यालय का नाम एवं पता पूर्व में जारी किये गये मान्यता आदेशों से मिलान कर सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में विद्यालय का नाम वही अंकित है जिस नाम से पूर्व में मान्यताएं/क्रमोन्नति प्रदान की गई हैं। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर उसे आवेदन से पूर्व ही सही करवाकर आवेदन करें। आवेदन लॉक होने के 05 दिवस तक संबंधित विद्यालय लॉक आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकेगा। आवेदन लॉक होने के 05 दिवस पश्चात विद्यालय द्वारा विद्यालय के नाम अथवा पते के संशोधन के लिए प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/परिवेदनाओं को शास्ति शुल्क (30000 रुपये) सहित आवेदन स्वीकार किया जायेगा। नियमानुसार परीक्षणोपरान्त संशोधन जारी किया जायेगा।
9. विद्यालय में घटित होने वाली अप्रिय घटनाएं जैसे छात्र/छात्राओं के साथ होने वाले उत्पीड़न, मारपीट, भेदभाव, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, पर अंकुश लगाने हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना विद्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से करनी होगी। यदि विद्यालय प्रबन्धन ऐसी घटनाओं में दोषी पाया जाता है तो विद्यालय/संस्था के विरुद्ध मान्यता/क्रमोन्नति के निलम्बन/समाप्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।
10. विभाग के पत्र क्रमांक : शिविरा–मा/मा–स/बाल संरक्षण / 2016–19/194 दिनांक 23.05.2019 के क्रम में छात्र/छात्राओं की समस्याओं के लिए सभी गैर सरकारी विद्यालयों में बाल शिकायत पेटिका का लगाया जाना अनिवार्य होगा जिसका उल्लेख आवेदन करते समय विद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में करना होगा।
11. पूर्व शैक्षिक सत्र 2022–23 में मान्यता/क्रमोन्नति के आवेदनों के साथ ही प्रबन्ध अन्तरण एवं मान्यता समर्पण के आवेदन लिये गये किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मान्यता प्रबन्ध अन्तरण एवं मान्यता समर्पण के प्रकरणों की प्रकृति मान्यता के आवेदनों से अलग होने के कारण इन्हें सत्र पर्यन्त पृथक रूप से शुल्क निर्धारित कर ऑनलाईन आवेदन लिये जायेंगे।
12. मान्यता प्राप्त संस्थाओं को आवेदन करते समय पूर्व में मान्यता प्राप्त विद्यालय को गत वर्षों की भविष्य–निधि कटौती का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. नवीन मान्यता स्वीकृति के समय जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करवायी जाने वाली आरक्षित कोष (एफ.डी.) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय के सम्मिलित नाम से होनी चाहिए (न कि संस्था के नाम से)। पूर्व में बनायी हुई एफडी की परिपक्व अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण के समय बनायी जाने वाली एफडी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय के सम्मिलित नाम से ही होनी चाहिए।
14. नवीन मान्यता के आवेदन के समय विद्यालय को स्थानीय सक्षम प्राधिकारी (नगर निगम/नगरपालिका/ग्राम पंचायत) द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. जिन विद्यालयों ने पूर्व में अतिरिक्त माध्यम हेतु जिस कक्षा स्तर की मान्यता प्राप्त है, उससे उच्च कक्षा स्तर की अतिरिक्त माध्यम की मान्यता लेने हेतु आवेदन की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

अपील—सुनवाई के संबंध में

16. निदेशालय द्वारा किसी भी संस्था के मान्यता आवेदन को नामजूर/इंकार किये जाने पर संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 की धारा—4 एवं नियम—6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में शासन स्तर पर विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को अपील प्रस्तुत की जा सकती है। धारा—4 में निम्नानुसार प्रावधान उपलब्ध हैः—

धारा—4—मान्यता के इंकार के विरुद्ध अपीलः—

- (1) जहां किसी संस्था को मान्यता से इंकार किया जाये वहां ऐसे इंकार से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, उसे ऐसे इंकार की संसूचना दिये जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर—भीतर, ऐसे इंकार के विरुद्ध ऐसे अधिकारी को, जिसे कि विहित किया जाये, विहित रीति से अपील कर सकेगा।
- (2) उप—धारा (1) के अधीन की गयी किसी अपील की सुनवाई पर उक्त प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस आदेश को, जिससे कि विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगा या उससे उलट सकेगा और उस पर इसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

नोटः

1. संस्था द्वारा पोर्टल लॉगिन के माध्यम से मान्यता आवेदन के संबंध में निरस्त प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर ऑनलाईन अपील सुनवाई संबंधी आवेदन करने की व्यवस्था उपलब्ध है।
2. उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त शेष सभी दिशा—निर्देश पूर्व शैक्षिक सत्र (2022—23) में जारी विज्ञप्ति के अनुसार यथावत रखे गये हैं। 2022—23 की विज्ञप्ति का अवलोकन विभागीय वेबसाईट www.education.rajasthan.gov.in पर तथा पीएसपी के पोर्टल पर किया जा सकता है।

वर्चुअल स्कूल (Virtual School)

राजस्थान राज्य में कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों के मद्देनजर विगत सत्रों में विद्यार्थियों के शिक्षा में हुए नुकसान हेतु विभाग द्वारा राजस्थान में शैक्षिक सत्र 2023–24 से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक गैर सरकारी VIRTUAL विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में ऐसी विकट परिस्थितियों में भी विद्यार्थियों का शिक्षण निर्बाध गति से करवाया जा सकें, इस हेतु शैक्षिक सत्र 2023–24 में कक्षा–कक्ष अध्ययन (Class room study) के साथ वर्चुअल (ऑनलाईन) स्कूल की अभिधारणा को समिलित किया गया है, जिसके तहत रजिस्टर्ड संस्था यदि चाहे तो विभाग से स्वीकृति लेकर वर्चुअल स्कूल प्रारंभ कर सकती है। यह स्वीकृति, विभाग द्वारा पूर्व में संचालित विद्यालयों के साथ सहभागिता करने वाली रजिस्टर्ड संस्था (सोसाइटी) को ही प्रदान की जाएगी।

वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

- शैक्षिक तकनीकी संस्थाओं द्वारा वर्चुअल स्कूल प्रारंभ करने हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 में वर्णित भौतिक मापदंड जैसे खेल मैदान, भूमि का माप, कक्षा–कक्ष, प्रयोगशाला आदि के लिए शिक्षा विभाग राजस्थान से उच्च माध्यमिक स्तर/माध्यमिक स्तर की मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय से सहभागिता (COLLABORATION) करना अनिवार्य होगा।
- यह सहभागिता "वर्चुअल इंटिग्रेशन पार्टनर (VIP)" कहलाएगी जिसके अंतर्गत वर्चुअल स्कूल के मान्यता के लिए आवेदन करनी वाली शैक्षिक तकनीकी संस्था (Ed-TECH Companies) को आवेदन से पूर्व मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्था से सहभागिता हेतु एमओयू करना आवश्यक होगा। उदाहरणः यदि उक्त एज्युकेशन संस्था शैक्षिक सत्र 2023–24 में मान्यता हेतु आवेदन करना चाहती है तो उसे आवेदन की अंतिम तारीख से पूर्व यह सहभागिता करनी होगी।
- वर्चुअल स्कूल की मान्यता वीआईपी सहभागिता की सम्यावधि तक मान्य होगी। जिसे न्यूनतम 4 वर्ष की अवधि हेतु करना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक शैक्षिक तकनीकी संस्था (Ed-Tech Companies) एक समय में एक से अधिक गैर सरकारी विद्यालयों के साथ वीआईपी सहभागिता कर सकेगी यदि निर्धारित समय अवधि से पूर्व किसी भी गैर सरकारी विद्यालय से किया हुआ एमओयू समाप्त होता है तो इसकी सूचना विभाग को तत्काल प्रेषित करनी होगी।
- Ed-Tech संस्था करार के समय यह सुनिश्चित कर लेवें कि एमओयू में वर्णित छात्र संख्या के अनुसार मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय के पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं।
- वर्चुअल स्कूल में प्रवेश के समय विद्यार्थियों को शैक्षिक गतिविधियों जैसे परीक्षा, प्रयोगशाला आदि का आयोजन जिस गैर सरकारी विद्यालय परिसर में होगा उसका विवरण देना होगा।
- वीआईपी सहभागिता के अधीन होने वाले करार (MOU) में एक शैक्षिक सत्र में अध्ययन कराये जाने वाले अधिकतम अध्ययनरत विद्यार्थियों का अंकन करना अनिवार्य होगा।
- सहभागिता के लिए होने वाले एमओयू में एक शैक्षिक सत्र के मध्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- Virtual schools के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले आवेदन कक्षा 9–10, 11–12 व कक्षा 9 से 12 की मान्यता स्वीकृति हेतु निर्धारित किये जायेंगे।

क्र.स.	मान्यता का प्रकार (एक अथवा दोनों माध्यम)
1	9–10
2	11–12
3	9–12

(Signature)

10. इसके अलावा वर्चुअल स्कूल की मान्यता लेने वाली संस्था के पास well developed online facility होना अनिवार्य होगा। (परिशिष्ट 16)
11. Virtual school की मान्यता प्राप्त करते ही संस्था को बोर्ड से Affiliation प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा एवं साथ ही बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अध्ययन कार्यक्रम एवं परीक्षाओं का आयोजन करना होगा। विभाग एवं बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ही संस्था को परीक्षाओं एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करना होगा। प्रत्येक शैक्षिक सत्र पर निर्धारित किये गये टाइम-फ्रेम के अनुसार स्थानीय/जिला समान परीक्षाएं आयोजित करने की व्यवस्था Ed-tech संस्था से सहभागिता (MOU) करने वाले मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय के विद्यालय परिसर में ही करनी होगी।
12. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अलावा CBSE/CISCE/CAIE से संबद्धता प्राप्त करने से पूर्व सम्बन्धित वर्चुअल विद्यालय को विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
13. प्रायोगिक परीक्षा को आयोजित करने की सम्पूर्ण व्यवस्था virtual school की मान्यता प्राप्त करने वाली Ed-tech संस्था द्वारा अपने स्तर पर ही सहभागी मान्यता प्राप्त विद्यालय में करनी होगी।
14. शैक्षिक तकनीकी संस्था द्वारा स्वयं की प्रत्येक विषय एवं प्रत्येक कक्षा हेतु तैयार की गई अध्ययन सामग्री (With QR Coded) वर्चुअल स्कूल की मान्यता के आवेदन के समय प्रस्तुत करनी होगी।
15. कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं, बोर्ड के नियम एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ली जावेगी।
16. वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के पश्चात Ed-tech संस्था के अधीन वर्चुअल स्कूल संचालित किया जाएगा। उक्त संचालित वर्चुअल स्कूल का सम्पूर्ण प्रबन्धन संबंधित Ed-tech संस्था का रहेगा।
17. Virtual School में कक्षावार प्रत्येक कालांश में अधिकतम 45 विद्यार्थियों को ही शिक्षक द्वारा ऑनलाईन अध्ययन करवाया जाये, इस हेतु ऑनलाईन लिंक केवल 45 विद्यार्थियों के साथ ही Share किया जाये। निर्धारित विद्यार्थियों को संबंधित विद्यालय द्वारा अध्यापन कार्य Live online classes द्वारा होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार Recorded live classes द्वारा रिवीजन करवाया जा सकता है।
18. Virtual School की मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था के पास आवेदित कक्षा स्तर की मान्यता के अनुसार न्यूनतम virtual स्टूडियो होना आवश्यक है।

Sr. No.	Class Level	Minimum Virtual Studio
1	9-10	2
2	11-12	2
3	9-12	4

19. Virtual School में विद्यार्थियों के प्रति दिवस अध्ययन का समय 6 घंटे एवं कालांश 08 तथा शिक्षकों के अध्यापन का समय साप्ताहिक 45 घंटे अर्थात् सामान्य विद्यालय के लिए निर्धारित साप्ताहिक कालांश (शिक्षकों एवं विद्यार्थियों दोनों के लिए) के अनुसार तय होगा।
20. Virtual School की मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था के पास कक्षा स्तर के अनुसार Virtual स्टूडियो होना आवश्यक है।
21. Virtual School की मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जावे।

कक्षा स्तर	वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने हेतु	
	एक माध्यम	दोनों माध्यम
9–10	1,00,000	1,50,000
11–12	1,20,000	1,75,000
9–12	1,50,000	2,25,000

22. वर्चुअल स्कूल द्वारा विद्यालय संचालन हेतु राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 विभाग द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों/परिपत्रों/आदेशों की पालना की जावेगी।
23. शैक्षिक तकनीकी संस्थाओं को वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्न योग्यता/शर्त को पूर्ण करना आवश्यक होगा :—
- 23.1 संबंधित तकनीकी संस्था का राज्य स्तरीय कार्यकारी कार्यालय होना आवश्यक होगा जिसके द्वारा राज्य में वर्चुअल विद्यालय का संचालन किया जाएगा। विद्यालय से संबंधित समस्त दस्तावेज का संधारण एवं पत्र व्यवहार उक्त कार्यालय के माध्यम से ही किया जाएगा।
- 23.2 वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने वाली प्रत्येक शैक्षिक तकनीकी संस्था को राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
- 23.3 शैक्षिक तकनीकी संस्थाओं द्वारा विगत तीन शैक्षिक सत्रों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को अध्ययन करवाने के लिए विभाग के दिशा—निर्देशों के अनुसार अनुभव होना आवश्यक होगा।
- 23.4 शैक्षिक तकनीकी संस्था द्वारा वर्चुअल विद्यालय के संचालन हेतु न्यूनतम 15 सदस्य प्रबंध समिति का गठन करना होगा। गठित प्रबंध समिति द्वारा ही वर्चुअल स्कूल की समस्त शैक्षिक व गैर शैक्षिक गतिविधियों को संचालन किया जाएगा।
-

परिशिष्ट XVI

Virtual School की मान्यता देने संबंधी न्यूनतम भौतिक मानदण्ड एवं शर्तें

क्र.सं.

मानदण्ड एवं शर्तें

- A संस्था के पास कक्षा स्तर के अनुसार Well Developed Hi-tech Digital Classroom Studio होना अनिवार्य है।
- B विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु E-library की व्यवस्था हो जिसमें पाठ्यक्रम सामग्री के अलावा अन्य शिक्षोपयोगी सामग्री का समावेश हो।
- C Online अध्ययन कराने वाले शिक्षकों के लिए अपने विषय के साथ-साथ कम्प्यूटर का बेसिक नॉलेज आवश्यक होगा।
- D ऑनलाईन अध्ययन हेतु High Quality एवं Frequency की Network सुविधा विद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए।
- E संस्था के पास स्वयं की Well Developed Website/ Mobile App होना अनिवार्य होगा। जिसके माध्यम से विद्यालय, प्रत्येक विद्यार्थी के डाटाबेस एवं स्टडी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को लॉगईन आइडी दिया जायेगा जिसके माध्यम से रुटीन टेस्ट एवं हॉमवर्क चेक किया जावे।
- F उक्त बिन्दुओं के साथ-साथ संस्था को विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय से भौतिक मापदण्ड साझा करने हेतु सहभागिता करनी अनिवार्य होगी।



वर्चुअल स्कूल की मान्यता के लिए आवश्यक MOU हेतु शैक्षिक सत्र 2023–24
संबंधी दिशा-निर्देश

1. शैक्षिक तकनीकी संस्थाओं द्वारा वर्चुअल स्कूल प्रारंभ करने हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1989 नियम 1993 में वर्णित भौतिक मापदंड जैसे खेल मैदान, भूमि का माप, कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला आदि के लिए शिक्षा विभाग राजस्थान से उच्च माध्यमिक स्तर/माध्यमिक स्तर की मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय से सहभागिता (COLLABORATION) करना अनिवार्य होगा।
2. यह सहभागिता “वर्चुअल इंटिग्रेशन पार्टनर (VIP)” कहलाएगी जिसके अंतर्गत वर्चुअल स्कूल के मान्यता के लिए आवेदन करनी वाली शैक्षिक तकनीकी संस्था (Ed-TECH Companies/सोसाईटी) को आवेदन से पूर्व मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्था से सहभागिता हेतु एमओयू करना आवश्यक होगा। उदाहरणतः यदि उक्त एज्युकेशन संस्था शैक्षिक सत्र 2023–24 में मान्यता हेतु आवेदन करना चाहती है तो उसे आवेदन की अंतिम तारीख से पूर्व यह सहभागिता करनी होगी।
3. वर्चुअल स्कूल की मान्यता वीआईपी सहभागिता की समयावधि तक मान्य होगी। जिसे न्यूनतम 4 वर्ष की अवधि हेतु करना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक शैक्षिक तकनीकी संस्था एक समय में एक से अधिक गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय के साथ वीआईपी सहभागिता कर सकेगी यदि निर्धारित समय अवधि से पूर्व किसी भी गैर सरकारी विद्यालय से किया हुआ एमओयू समाप्त होता है तो इसकी सूचना विभाग को तत्काल प्रेषित करनी होगी।
5. Ed-Tech संस्था करार के समय यह सुनिश्चित कर लेवें कि एमओयू में वर्णित छात्र संख्या के अनुसार मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय के पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं।
6. वीआईपी सहभागिता के अधीन होने वाले करार (MOU) में एक शैक्षिक सत्र में वर्चुअल विद्यालय द्वारा अध्ययन कराये जाने वाले अधिकतम विद्यार्थियों का अंकन करना अनिवार्य होगा।
7. सहभागिता के लिए होने वाले एमओयू में एक शैक्षिक सत्र के मध्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
8. “वर्चुअल स्कूल की मान्यता के लिये किये गये MOU संबंधी भविष्य में किसी भी प्रकार का न्यायिक/अन्य वाद दायर होने पर शिक्षा विभाग के किसी भी स्तर के कार्यालय/व्यक्ति को वाद में पक्षकार नहीं बनाया जायेगा” रजिस्टर्ड MOU में उक्त पंक्ति का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
9. VIP सहभागिता के अधीन हुआ MOU संबंधित पंजीयन कार्यालय में रजिस्टर्ड होना(न्यूनतम 500 रुपये के स्टाम्प पर) अनिवार्य होगा, नोटेरी द्वारा प्रमाणित MOU मान्य नहीं होगा।
10. रजिस्टर्ड MOU न्यूनतम तीन प्रतियों में बनाया जाये जिसकी एक प्रति वर्चुअल स्कूल, दूसरी प्रति MOU करने वाले गैर सरकारी विद्यालय तथा तीसरी प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संधारित की जाएंगी।
11. यदि किसी कारणवश ED-Tech संस्था द्वारा किये सभी MOU समाप्त/निरस्त हो जाते हैं तो उक्त संस्था की वर्चुअल स्कूल की मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी अतः स्पष्ट है कि वर्चुअल स्कूल की मान्यता हेतु न्यूनतम एक गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से करार रखना आवश्यक होगा।
12. वर्चुअल स्कूल की मान्यता की समाप्ति के पश्चात ED-Tech संस्था पुनः किसी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से MOU कर वर्चुअल मान्यता हेतु आगामी शैक्षिक सत्र में नवीन आवेदन के लिए स्वतंत्र होगी।

(Signature)

अध्याय-2 : आवेदन एवं पात्रता

1. आवेदन करना — राजस्थान गैर—सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 के प्रावधानानुसार गैर—सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को किसी भी प्रकार की मान्यता (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, अतिरिक्त, माध्यम, अतिरिक्त विषय, दो पारी विद्यालय संचालन, वर्चुअल विद्यालय मान्यता इत्यादि) के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। आवेदन राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल(www.rajpsp.nic.in) पर करना होगा।
2. नवीन मान्यता, क्रमोन्नति आदि हेतु पात्रता — कोई भी गैर—सरकारी शैक्षिक संस्था प्राथमिक (कक्षा 1—5 तक) अथवा उच्च प्राथमिक (कक्षा 1—8 तक) स्तर की नवीन मान्यता हेतु आवेदन कर सकती है (परिशिष्ट-1 नवीन मान्यता हेतु आवेदन का प्रारूप), प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति हेतु आवेदन कर सकती है तथा माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त विषय, दो पारी विद्यालय संचालन इत्यादि के लिए आवेदन कर सकती है (परिशिष्ट-2 क्रमोन्नति एवं स्थान, नाम इत्यादि के परिवर्तन हेतु आवेदन का प्रारूप)।

उक्त समस्त प्रकार के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 2.1. आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाएँ :— विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधायें संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार होंगी।
- 2.2. शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द :— विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द संलग्न परिशिष्ट-4 के अनुसार होंगे।
- 2.3. सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण :— संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के प्रमाण पत्र को स्केन करके अपलोड करना होगा।
- 2.4. सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य :— संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य होना आवश्यक है। सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों को स्केन करके अपलोड करना होगा।
- 2.5. शुल्क :— मान्यता हेतु लिए जाने वाले समस्त प्रकार के शुल्कों का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। समस्त प्रकार के आवेदन शुल्क ऑनलाइन ई—ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराने होंगे तथा प्रकरण का अनुमोदन/अभिशंषा हाँ होने की स्थिति में आरक्षित कोष की राशि का डी.डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम से देय होगा।

आवेदन शुल्क की राशि आवेदन पत्र के साथ ही अदा की जानी होगी, जो अदेय होगी तथा आरक्षित कोष की राशि का डी.डी तथा फिक्सड डिपोजिट की राशि का विवरण आवेदन पत्र की जाँच एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात संस्था के आवेदन को स्वीकृति योग्य पाए जाने पर निदेशालय द्वारा विद्यालय के लॉगिन में प्रकरण के अनुमोदन का मैसेज प्रदर्शित होने पर संबंधित संस्था को इसके लिए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अविलम्ब जमा करवाया जाना होगा। आवेदन के संबन्ध में समस्त प्रकार के शुल्क प्राप्त होने पर ही आदेश जारी किये जायेंगे।

- 2.6. शपथ पत्र :— सोसाइटी द्वारा विद्यालय से सम्बन्धित प्रदत्त प्रमुख सूचनाओं को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित करवाकर शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।
- 2.7. भूरूपान्तरण के संबन्ध में उल्लेखनीय :— ग्रामीण क्षेत्र में गैर—सरकारी विद्यालयों को भूमि रूपान्तरण के संबन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.9(1)शिक्षा-5/भूमि रूपान्तरण/2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 द्वारा विहित प्रावधान (संलग्न परिशिष्ट-4) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर हेतु आवेदन करने वाले विद्यालयों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लागू भूमि की माप सम्बन्धी अनिवार्यता :— गैर सरकारी विद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की माप
- 2.8.

(1)

के संबन्ध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.9(6)शिक्षा—5/आनलाइन मान्यता/2020—21 जयपुर दिनांक 23.07.2020 के तहतः—

- (I) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के माप की अनिवार्यता 4000 वर्गमीटर निर्धारित की गई है।
- (II) शहरी क्षेत्र हेतु भूमि की माप 1000 वर्गमीटर निर्धारित है।
- (III) शासन का पत्रांक प.9(2)शिक्षा—5/2005 जयपुर दिनांक 27.5.2015 द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को भवन एवं खेल मैदान के लिए शहरी क्षेत्र के समान ही 1000 वर्गमीटर गैर रूपान्तरित भूमि का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के परिशिष्ट—2 तथा (संशोधित) नियम 2011 के अनुसार कक्षा—कक्षों एवं अन्य मापदण्ड पूर्ण किये जाने की सुनिश्चितता विद्यालय के द्वारा की जायेगी।

- 2.9 (I) वर्तमान तक जारी मान्यता/क्रमोन्ति/अति.विषय, अति.संकाय, अति.माध्यम, स्थान परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, माध्यम परिवर्तन, नाम परिवर्तन आदि के संबंध में विद्यालयों द्वारा यदि किसी प्रकार का आवेदन किया जाता है तो उसे भूमि के माप, कक्षा—कक्ष की संख्या एवं माप, रजिस्टर्ड किरायानामा, भूरूपान्तरण, खेल—मैदान आदि के नवीनतम एवं निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने अनिवार्य होंगे।
- 2.9 (II) किसी भी प्रकार के आवेदन/परिवर्तन के लिए सचिव द्वारा हस्ताक्षरित औचित्य सहित प्रबंध कार्यकारिणी का प्रस्ताव आवश्यक होगा।
- 2.10 विद्यालय हेतु भूमि एवं भवन (खेल मैदान सहित) किराये का होने पर संस्था द्वारा रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2.11 विद्यालय के स्थान परिवर्तन किये जाने पर आरटीई के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय को स्वयं के स्तर पर विद्यार्थियों के लिये नये विद्यालय भवन तक आवागमन की निःशुल्क व्यवस्था करनी होगी।
- 2.12 दो पारी में संचालन चाहने वाले विद्यालयों को एवं वर्तमान में बिना विभागीय अनुमति के दो पारी में संचालित शिक्षण संस्थाओं को ऑनलाइन आवेदन कर सक्षम स्तर से जारी विभागीय स्वीकृति ली जानी अनिवार्य होगी।
- 2.13 वर्चुअल विद्यालय की मान्यता हेतु संबंधी संस्था को परिशिष्ट 16 में निहित मापदण्डों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

१३

3. आवेदन की प्रक्रिया -

- 3.1. विद्यालय का पंजीयन एवं पासवर्ड प्राप्त करना – सभी प्रकार के आवेदन हेतु आवेदन राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर करना होगा। नवीन मान्यता एवं वर्चुअल विद्यालय की मान्यता हेतु आवेदन करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को सर्वप्रथम गैर सरकारी विद्यालय को पोर्टल पर पंजीयन करना होगा जिसके लिए आवश्यक सूचनाएँ प्रविष्ट करने के बाद मोबाइल पर पीएसपी. कोड एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। पंजीयन के बाद विद्यालय स्वंय का पासवर्ड बदल सकेंगे जो भविष्य में लॉगिन करने हेतु आवश्यक होगा। जिन विद्यालयों का पूर्व में मान्यता पोर्टल पर पंजीयन कर पीएसपी कोड प्राप्त कर लिये गये हैं, उन विद्यालयों को उसी पीएसपी कोड से आवेदन करना अनिवार्य होगा। इन विद्यालयों को नवीन पंजीयन नहीं करना है।
- 3.2 विद्यालय सम्बन्धी सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि – लॉगिन करने के बाद विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र में वांछित सूचनाएँ यथा— आधारभूत संरचना, आवश्यक सुविधाएँ एवं कर्मचारियों सम्बन्धी सभी आवश्यक सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे। इस कार्य में सुविधा के लिए विद्यालय, पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन के प्रारूप पहले से ही भर कर तैयार रखें। समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि की स्थिति में ही इन्हें लॉक करें। ऑनलाईन आवेदन किये जाने के उपरांत प्रविष्टि सूचनाओं में यदि संशोधन आवश्यक है तो निरीक्षण से पूर्व निर्धारित शुल्क ऑनलाईन अदा कर वांछित संशोधन निर्धारित समयावधि में किए जा सकेंगे। संस्था द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाकर मय दस्तावेज एवं आवेदन पत्र पत्रावली तैयार कर निरीक्षण दल को वक्त निरीक्षण उपलब्ध करवाया जाना होगा। विभाग द्वारा आक्षेप लगाए जाने पर निर्धारित समयावधि में ऑनलाईन आक्षेप पूर्ति संबंधित विद्यालय द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
- 3.3 विद्यालय सम्बन्धी दस्तावेजों को अपलोड करना – (i) मान्यता के सम्बन्ध में आवश्यक समस्त दस्तावेजों को ऑनलाईन अपलोड करना है। (अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची परिषिष्ट-7)। जिन दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है, उनको पहले से ही कम्प्यूटर स्कैन कर पैन ड्राइव में तैयार रखें। अपलोड किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों का पूर्ण पठनीय होना आवश्यक है। दस्तावेज PDF/JPEG फॉर्मेट में होना तथा प्रत्येक दस्तावेज एक (1mb) से कम साइज का होना आवश्यक है। PDF फाईल जो अपलोड की जानी है वह Computer Based Scanner से Scan करवाकर ही अपलोड की जावे किसी मोबाइल एप से नहीं।
- (ii) मान्यता/कमोन्नति आदि के आवेदन के संबन्ध में विद्यालय का वर्तमान पता एवं स्थान परिवर्तन के प्रकरणों में वांछित स्थान के पते के अंकन में पते में भूमि का प्लाट नम्बर/खसरा नम्बर तथा आसा-पासा /ब्लाक/जिला /टीएसपी/नॉनटीएसपी का अंकन किया जाना अनिवार्य होगा।/ब्लाक/जिला /टीएसपी/नॉनटीएसपी संस्था द्वारा संलग्न ब्लू प्रिंट सक्षम अधिकारी सहायक अभियंता पी.डब्ल्यू.डी द्वारा जारी किया हो। जिसमें संस्था का नाम तथा विद्यालय का नाम भूमि का प्लाट नम्बर/खसरा नम्बर तथा भूमि की नाप, आसा-पासा, खेल मैदान, निर्मित भवन, भवन के कक्षों का माप (वर्गमीटर में) का मौजूदा प्लान (EXISTING PLAN) का मय दिनांक स्पष्ट अंकन हो। उक्त वांछित सूचनाओं का अंकन नहीं किये जाने पर ब्लू प्रिंट स्वीकार्य नहीं होगा।
- (iii) भूमि संस्था की स्वयं की होने/किराये की होने/अलोटमेंट होने/उपहार विलेख होने पर संबंधित भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज जिसमें भूमि की माप(वर्गमीटर में) तथा प्लाट नम्बर/खसरा नम्बर /आसा पासा का स्पष्ट अंकन होना अनिवार्य है। किराये की भूमि होने पर किराएदाता के भू-स्वामित्व के दस्तावेज रजिस्टर्ड किरायेनामे के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (iv) शासन के पत्र दिनांक 12.01.2021 द्वारा संस्थाओं को किसी भी प्रकार के आवेदन हेतु शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूरुपान्तरण आवश्यक होगा।



- 3.4 आवेदन हेतु आवश्यक शुल्क को जमा करवाना – विभिन्न प्रकार के आवेदनों के लिए शुल्क की राशि भी अलग-अलग है, अतः इस राशि की ठीक से गणना कर लें तथा उसके अनुसार ही समस्त प्रकार के आवेदन शुल्क ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराने होंगे। मान्यता/क्रमोन्नति आदि के आवेदन शुल्क की राशि ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा होगी एवं आरक्षित कोष की राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अलग से जमा होगी।
- 3.5 आवेदन की हार्ड कॉपी तैयार करना – समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि एवं स्वयं के संतुष्ट होने के बाद ई-ग्रास के माध्यम से शुल्क जमा करवाने के उपरान्त ही आवेदन को लॉक करें तथा इसका प्रिंटआउट ले लें। आवेदन के प्रिंटआउट पर विद्यालय संचालन समिति के सचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर लगावें। आवेदन के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज (संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट-8) संलग्न करें तथा विद्यालय के 5 रंगीन फोटो जो अपलोड किये गये हैं, भी लगावें। पूर्ण आवेदन पत्र तैयार कर विद्यालय में सुरक्षित रखें। उक्त हार्ड कॉपी मय संलग्न पत्रावली निरीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले जाँच दल के प्रभारी को विद्यालय निरीक्षण के समय संस्था द्वारा उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। समस्त पृष्ठों पर क्रम संख्या का अंकन करें।
- 3.6 प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/नाम/स्थान/वर्ग/माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम आदि के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित किये जाएंगे।
- 3.7 जो विद्यालय पहले से ही मान्यता प्राप्त हैं वे विद्यालय किसी भी स्तर के नाम/स्थान/वर्ग परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय/उच्च प्राथमिक से माध्यमिक/माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति/वर्चुअल विद्यालय मान्यता हेतु अपने आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक को ऑनलाईन प्रेषित करेंगे।
- 3.8 जिशिअ कार्यालय द्वारा पत्रावली जाँच में कमी/त्रुटि पाए जाने पर ऑनलाईन आक्षेप लगाए जाने की स्थिति में संस्था द्वारा आक्षेप की पूर्ति ऑनलाईन वांछित दस्तावेज अपलोड कर संस्था सचिव द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों का प्रिंट आउट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित अवधि में जमा कराने होंगे। निर्धारित अवधि में ऑनलाईन आक्षेप पूर्ति नहीं किये जाने पर आवेदन ऑटो लॉक हो जाएगा। निर्धारित अवधि में आक्षेप पूर्ति किए जाने में संस्था विफल रहती है तो समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी तथा ऑफलाईन किसी प्रकार के दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- 3.9 आक्षेप पूर्ति के लिये अनलॉक किये गये आवेदन एवं अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की हॉर्डकॉपी को ऑनलाईन अपलोड की अंतिम तिथि के बाद 02 दिवस के भीतर संस्था को अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा।
- 3.10 विद्यालय द्वारा निरीक्षण दल को सुपुर्द की जाने वाली पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों की संख्या जैसे— पत्रावली में 45 दस्तावेज प्रस्तुत किए हों तो पृष्ठ संख्या 1/45, 2/45, 3/45..... 44/45, 45/45 अंकित कर निरीक्षण दल को पत्रावली सुपुर्द करेंगे।

अध्याय—4 : आवेदन पत्रों की जाँच

4. आवेदन पत्रों को कार्यालय में प्राप्त कर ऑन लाइन अपलोडेड दस्तावेजों से मिलान कर जाँच करना—
- 4.1 संस्था द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन एवं उसकी पत्रावली को कार्यालय में प्राप्त कर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा निरीक्षण प्रपत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों एवं आवेदन में वर्णित एवं संलग्न किये गये दस्तावेजों का ठीक से मिलान कर लें। यदि कोई अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आक्षेप पूर्ति हेतु संबंधित विद्यालय को ऑनलाइन अवसर दिया जाए।
- 4.2 आवेदन पत्रावली की जाँच का कार्य ऑनलाइन अपलोडेड दस्तावेजों से मिलान कर किया जाना है। यह जाँच संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगइन में उपलब्ध विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन पत्रावली के माध्यम से की जायेगी। विभागीय मानदण्डानुसार जाँच कार्यवाही पूर्ण की जानी है।
- 4.3 सर्वप्रथम विद्यालय द्वारा भुगतान की गई आवेदन शुल्क की राशि का मिलान निर्धारित शुल्क से करना है। निर्धारित शुल्क से अंतर पाए जाने पर निदेशालय को अवगत करवाया जाए। शुल्क की जितनी राशि आवेदन पत्र में अंकित है, उतनी राशि ई-ग्रास के माध्यम से विद्यालय द्वारा जमा करवा दी गई है की सुनिश्चितता अनिवार्य रूप से की जाए। एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन के संबंध में पत्र में सभी प्रकार के निर्धारित शुल्क ई-ग्रास के माध्यम से जमा करवा दिये गए हैं।
- 4.4 विद्यालय टीएसपी. अथवा नॉन टीएसपी. एरिया में है, इसकी भी जाँच कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि मान्यता शुल्क की राशि इस विवरण के अनुसार सही है।
- 4.5 मान्यता आवेदन शुल्क की राशि के ई-ग्रास संबंधित अपूर्ण प्रविष्टियों अथवा सही राशि का ई-ग्रास में जमा शुल्क राशि से मिलान नहीं होने अथवा किसी दस्तावेज के अपलोड न होने अथवा पत्रावली में अपूर्ण होने की स्थिति में उसके सामने सही नहीं पाया गया का विकल्प चयन करें। इस विकल्प का चयन करते ही इस विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन में मान्यता आवेदन शुल्क विवरण एवं दस्तावेजों के अपलोड करने संबंधी क्षेत्र आक्षेप पूर्ति हेतु अनलॉक हो जाएंगे तथा इसकी सूचना विद्यालय के लॉगइन में प्रदर्शित हो जाएगी।
- 4.6 विद्यालय की सूचना अनलॉक होने के बाद आगामी पांच कार्यालय दिवसों में विद्यालय को अपनी ऑनलाइन आक्षेप पूर्ति पूर्ण कर आवेदन को ऑनलाइन पुनः लॉक करना है। जिसकी सूचना सम्बंधित जिशिअ के लॉगइन में प्रदर्शित हो जाएगी। संस्था द्वारा आक्षेप की पूर्ति ऑनलाइन वांछित दस्तावेज अपलोड कर संस्था सचिव द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों प्रिंट आउट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित अवधि में जमा कराने होंगे जिससे विद्यालय की पत्रावली पूर्ण हो सके। निर्धारित अवधि में संस्था द्वारा आवेदन लॉक एवं पत्रावली सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में विद्यालय का आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, जिसके लिए आवेदक विद्यालय स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
- 4.7 आक्षेप पूर्ति के लिये अनलॉक किये गये आवेदन एवं अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की हॉर्डकॉफी को ऑनलाइन अपलोड की अंतिम तिथि के बाद 02 दिवस के भीतर स्वीकार किए जाएंगे। एक बार आक्षेप लगने के बाद निर्धारित अवधि में आक्षेप पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आवेदन की संवीक्षा कर अपनी स्पष्ट अभिशंसा सहित निदेशालय को 05 दिवस के भीतर अग्रेषित की जाएगी।
- 4.8 जिन विद्यालयों की मान्यता शुल्क एवं अपलोड किये गए दस्तावेजों की प्रविष्टियाँ सही पायी जाती हैं, उन विद्यालयों के लिये आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन पत्र की अन्य प्रविष्टियों की ऑनलाइन जाँच की जा सकेगी।

- 4.9 आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों में किसी दस्तावेज के संलग्न नहीं होने या अपूर्ण पाये जाने पर आक्षेप की सूचना विद्यालय को पोर्टल पर विद्यालय लॉगइन में प्रदर्शित होगी। विद्यालय भौतिक निरीक्षण के समय ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी एवं समस्त वांछित दस्तावेजों की 02 प्रतियों में पत्रावली तैयार कर एक पत्रावली निरीक्षण दल को उपलब्ध करवानी होगी तथा एक पत्रावली विद्यालय द्वारा स्वयं के रिकॉर्ड संधारण हेतु सुरक्षित रखी जाएगी, विद्यालय द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवायी जाने वाली पत्रावली को मय निरीक्षण रिपोर्ट (हॉर्डकॉपी) दल प्रभारी द्वारा 02 दिवस की अवधि में सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में जमा करवानी होगी।
- 4.10 गैर सरकारी विद्यालयों के आवेदन प्रक्रिया में सम्पूर्ण पारदर्शिता एवं आवेदक विद्यालय को सूचना हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :— निरीक्षण दल गठन की सूचना, आक्षेपित प्रकरणों की सूचना, निदेशालय द्वारा मान्यता/क्रमोन्ति हेतु अनुमोदन/निरस्त जारी करना, जिशिअ के द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र 07 दिवस में जारी करने की सूचना विद्यालय के लॉगइन में प्रदर्शित होगी तथा मान्यता के लिये अपात्र पायी गयी संस्थाओं को जिशिअ द्वारा 07 दिवस की अवधि के भीतर जरिये रजिस्टर्ड निरस्त आदेश संबंधित संस्था को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जाएगा।
- 4.11 निरीक्षण दल का गठन ऑनलाईन ऑटो जेनरेटेड किया जाएगा। निरीक्षण दल के सभी सदस्यों को इस बाबत पोर्टल के माध्यम से मैसेज भेजा जाएगा। निरीक्षण का कार्य समयबद्ध कार्यक्रम है, अतः इस हेतु जिशिअ कार्यालय द्वारा निरीक्षण की मॉनिटरिंग किए जाने हेतु निरीक्षण दल के गठन के दिवस ही सभी सदस्यों से दूरभाष द्वारा निर्देशित करें एवं पदोन्नति पर अन्यत्र पदस्थापन/स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त/लम्बे अवकाश पर/दृष्टि बाधित/दोहरी विकलांगता/80 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने, आदि की परिस्थिति होने पर संस्था प्रधान से जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट होने की स्थिति में मय साक्ष्य आवेदन पत्र दल परिवर्तन हेतु निदेशालय को अवगत करावें। समयबद्ध अवधि में निरीक्षण करवाये जाने का समस्त उत्तरदायित्व जिशिअ कार्यालय का होगा।

(५)

अध्याय—5 निरीक्षण दल गठन एवं निरीक्षण

5. विद्यालयों के निरीक्षण हेतु दलों का ऑनलाइन गठन:-

- 5.1 विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के पश्चात् ई-ग्रास के मार्फत निर्धारित शुल्क जमा करवा देने के उपरांत संस्था द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाओं का भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा ऑनलाइन गठित दल द्वारा किया जाएगा जिसकी सूचना भौतिक सत्यापन से पूर्व विद्यालय के लॉगईन में प्रदर्शित होगी। निर्धारित अवधि में निरीक्षण दल द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। निर्धारित अवधि में निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण दल का होगा। निरीक्षण दल यह स्पष्ट लिखेगा कि विद्यालय भवन/खेल मैदान ब्लू प्रिंट अनुसार है अथवा नहीं। कमरों का माप एवं संख्या ब्ल्यू प्रिंट के अनुसार ही होने चाहिए। निरीक्षण दल की रिपोर्ट किसी कारण वश अपलोड नहीं होने की स्थिति होने पर निरीक्षण दल प्रभारी मय कारण तत्काल संबंधित जिशिअ की मेल आईडी पर एवं सुविधानुसार कार्यालय में पत्र सहित हार्डकॉफी जमा करवाये। ताकि समय रहते जिशिअ द्वारा आवश्यक कार्यवाहीं की जा सकें। निरीक्षण दल द्वारा टाइम फ्रेम का पालन नहीं करने वाले संबंधित अधिकारी/कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- 5.2 निरीक्षण दल के प्रभारी एवं सदस्यों को एस.एम.एस के द्वारा विद्यालय निरीक्षण हेतु दल गठन की सूचना स्वतः ही उपलब्ध होगी। निरीक्षण दल के प्रभारी को शालादर्पण के स्टाफ लॉगइन में जाकर निरीक्षण हेतु आदेश एवं मॉड्यूल में उपलब्ध निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति को डाउनलोड कर गठित दल के 02 अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर विद्यालय में उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन करने के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दुओं की पूर्ति उपरांत दल प्रभारी द्वारा शाला दर्पण के स्टाफ लॉगइन कर निरीक्षण प्रतिवेदन को अनुशंसा सहित अपलोड (07 दिवस) करना है। सम्बंधित विद्यालय से आवेदन प्रपत्र, शुल्क की चालान की प्रति एवं समस्त वांछित दस्तावेजों की भौतिक प्रति प्राप्त कर आगामी 02 दिवस में सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करना है।
- 5.3 निरीक्षण दल के प्रभारी को गठित दल के अन्य 02 कार्मिकों को उचित कारण यथा— पदोन्नति पर अन्यत्र पदस्थापन/स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त/लम्बे अवकाश पर/दृष्टिबाधित/दोहरी विकलांगता/80 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर आदि की परिस्थिति होने पर संस्था प्रधान से जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट होने की स्थिति में मय साक्ष्य आवेदन पत्र दल परिवर्तन हेतु प्राप्त कर ही दल में परिवर्तन दल प्रभारी द्वारा किया जाना है। दल परिवर्तन की स्थिति में दल प्रभारी द्वारा जिशिअ को प्रार्थना पत्र मय साक्ष्य की प्रति निरीक्षण रिपोर्ट के साथ जमा करवानी है। दल प्रभारी/समस्त दल के कार्मिकों को बदलने हेतु जिशिअ के माध्यम से निदेशालय को प्रार्थना पत्र मय साक्ष्य यथोचित कारण होने पर जिशिअ की अभिशंषा के साथ अग्रेषित किया जाना है।
- 5.4 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर हेतु आवेदन के संबन्ध में भौतिक सत्यापन हेतु गठित दल में कुल 02 सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में/अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि/ माशि. कार्यालय जिशिअ. मुख्यालय/अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम/द्वितीय/प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय/व्याख्याता को लगाया जाएगा तथा दल के सदस्य के रूप में प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय को लगाया जाएगा।
- 5.5 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर हेतु आवेदन के संबन्ध में भौतिक सत्यापन हेतु गठित दल में कुल 03 सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य उमावि./अंतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि./ माशि. कार्यालय जिशिअ.मुख्यालय/समकक्ष अधिकारी एवं दल के प्रथम सदस्य के रूप में व्याख्याता/प्रधानाध्यापक मावि/समकक्ष अधिकारी एवं दल के द्वितीय सदस्य के रूप में एक लेखा संबंधित कार्मिक/मंत्रालयिक कर्मचारी होगा।
- 5.6 एक दल द्वारा अधिकतम दो गैर सरकारी विद्यालयों का सत्यापन किया जाएगा।
- 5.7 विद्यालय द्वारा निरीक्षण दल को सुपुर्द की जाने वाली पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का मय पृष्ठ संख्या अंकन के समस्त दस्तावेजों की प्राप्ति निरीक्षण दल सुनिश्चित कर लें।

(5)

अध्याय 6. विद्यालय का निरीक्षण / भौतिक सत्यापनः—

- 6.1 सत्यापन दलों को ऑनलाइन निरीक्षण आदेश के 7 दिवस या निरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि, जो भी पहले हो तक अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना है। सत्यापन के बाद अगले 02 दिवस में सत्यापन रिपोर्ट मय निरीक्षण पत्रावली संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी।
- 6.2 निरीक्षण दल विद्यालय द्वारा दी गई समस्त सूचनाओं तथा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों का सत्यापन किया जाना है तथा सत्यापित तथ्यों एवं निर्धारित मापदण्डों के आधार पर मान्यता के संबंध में स्पष्ट अभिशंषा करनी होगी।
- 6.3 सत्यापन दलों से प्राप्त रिपोर्ट को निरीक्षण दल प्रभारी द्वारा तत्काल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा एवं हॉर्डकॉपी मय पत्रावली सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में 02 दिवस की अवधि में जमा करवाना है।
- 6.4 सत्यापन दल द्वारा सत्यापित/दी गई सूचनाओं के संबंध में कोई विसंगति या भिन्न स्थिति पायी जाती है तो सत्यापन दल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

वर्चुअल स्कूल के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दल संबंधी सत्र 2023–24 के लिए दिशा-निर्देश :-

01. माध्यमिक स्तर की मान्यता/क्रमोन्नति आदि से संबंधित जो दिशा-निर्देश निरीक्षण दल के लिए निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार ही वर्चुअल विद्यालय की मान्यता हेतु निरीक्षण किया जाएगा।
02. निरीक्षण दल 03 सदस्यीय होगा। जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे—
 (1) निरीक्षण दल प्रभारी—प्राचार्य /समकक्ष
 (2) निरीक्षण दल सदस्य प्रथम—प्राध्यापक
 (3) निरीक्षण दल सदस्य द्वितीय— कनिष्ठ/वरिष्ठ सहायक
03. निरीक्षण दल सदस्य प्रथम के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग के अधीन संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में कार्यरत आईपी विषय के पीजीटी का ही चयन किया जाए ताकि वर्चुअल विद्यालय का निरीक्षण प्रभावी रूप से किया जा सके।
04. आवेदन लॉक होने 05 दिवस पश्चात ऑटो जनरेट प्रणाली द्वारा निरीक्षण दल का गठन किया जाएगा जिसे आगामी 07 दिवस के भीतर निरीक्षण संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
05. जिस जिले से संबंधित वर्चुअल विद्यालय आवेदन करेगा। उसी जिले के विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारी/कार्मिकों में से निरीक्षण दल का गठन किया जाएगा।
06. वर्चुअल विद्यालय की मान्यता के लिए निरीक्षण हेतु गठित दल को निर्धारित समयावधि के भीतर वर्चुअल विद्यालय के राज्य में संचालित कार्यकारी कार्यालय(वर्चुअल विद्यालय) तथा वीआईपी के अन्तर्गत किए MOU संबंधी समस्त गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय का निरीक्षण करवाने की जिम्मेदारी, वर्चुअल विद्यालय के आवेदन करने वाली सोसाईटी के प्रबंधन की होगी।
07. निरीक्षण दल प्रभारी को दल गठन संबंधी सूचना NIC से SMS (संदेश) अथवा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त होते ही स्वयं की शाला दर्पण आईडी द्वारा निरीक्षण प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा, डाउनलोड निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित सूचना के अनुसार

(5)

अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर, तथा समय सीमा में निरीक्षण करते हुए, निरीक्षण रिपोर्ट शाला दर्पण आईडी पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवानी होगी।

08. निरीक्षण दल में संशोधन परिवेदना को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त होने पर निदेशालय स्तर पर, मान्यता/क्रमोन्नति आदि संबंधी निरीक्षण दल संशोधन हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही परीक्षणोपरांत निस्तारित किया जाएगा।

अध्याय-7 मान्यता अनुमोदन तथा मान्यता प्रमाण-पत्र/निरस्त प्रमाण पत्र जारी करना

7. मान्यता का निदेशालय/राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना:- मान्यता हेतु अपात्र संस्थाओं को सूचित करना
- 7.1 निरीक्षण उपरान्त प्राप्त प्रकरण का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन, संलग्न दस्तावेजों के साथ नियमान्तर्गत पूर्ण परीक्षण किया जाना है। परीक्षण के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज आवश्यक होने की स्थिति में संबंधित संस्था को आक्षेप पूर्ति करवाकर प्रतिवेदन अपनी नियमसंगत स्पष्ट अभिषंसा के पोर्टल पर निदेशालय को अग्रेषित कर निर्धारित अवधि में निरीक्षण प्रतिवेदन मय पत्रावली निदेशालय को उपलब्ध कराएं।
- 7.2 जिन प्रतिवेदनों में निरीक्षण दल द्वारा मान्यता दिये जाने हेतु स्पष्ट अभिषंसा की है। तथा उनके तथ्यों से संतुष्ट होने की स्थिति में तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी मान्यता दिये जाने की अभिषंसा की गयी है उन संस्थाओं/विद्यालयों को गुणावगुण एवं समीक्षा के पश्चात् निदेशालय द्वारा मान्यता दिए जाने का अनुमोदन अथवा मान्यता हेतु अपात्र किया जायेगा। प्राप्त पत्रावलियों के संबंध में निदेशालय द्वारा ऑन लाईन अनुमोदन किया जाएगा। उक्त अनुमोदन का संबंधित विद्यालय के लॉगिन में मैसेज प्रदर्शित होगा, के उपरांत संबंधित विद्यालय वांछित पूर्ति यथा डीडी/एफडी के संबंध में जिशिअ कार्यालय से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करें।

पात्र विद्यालयों के लिए आरक्षित कोष (फिक्सड डिपोजिट) की राशि का डीडी तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की देय राशि का ड्राफ्ट जमा करवाने हेतु मान्यता अनुमोदन के 02 दिवस के भीतर जमा कराने हेतु संबंधित संस्था को पत्र जिशिअ द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा। निर्धारित तिथि तक आरक्षित कोष (फिक्सड डिपोजिट) का दस्तावेज तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की देय राशि का ड्राफ्ट प्राप्त होने पर इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि जिशिअ द्वारा की जाएगी। जिन संस्थाओं से निर्धारित तिथि तक वांछित एफडी/डीडी, दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं वह विद्यालय मान्यता के लिए अपात्र हो जाएगे (प्रति 15 दिवस की शास्ति की अवधि जिशिअ कार्यालय द्वारा सूचित किए जाने एवं उसकी पावती के 03 महीने तक रहेगी) इस स्थिति में निरस्त आदेश जारी कर संबंधित संस्था को रजिस्टर्ड डाक से जिशिअ कार्यालय द्वारा भिजवाया जाएगा। इस स्थिति में निरस्त आदेश जारी कर संबंधित संस्था को रजिस्टर्ड डाक से जिशिअ कार्यालय द्वारा भिजवाया जाएगा। निदेशालय के अनुमोदन उपरांत तथा विद्यालय द्वारा वांछित पूर्ति किए जाने के 03 कार्यदिवस के भीतर अनिवार्य रूप से संबंधित जिशिअ द्वारा मान्यता/निरस्त प्रमाण पत्र आदेश जारी किए जाएंगे। यह प्रमाण-पत्र ऑनलाइन प्रिंट होगा तथा जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी किया जाएगा।

- 7.3 ऐसे प्रकरण जो राज्य सरकार को प्रेषणीय हैं तथा विद्यालय द्वारा एक/एक से अधिक प्रकार के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे प्रकरणों का शासन से अनुमोदन उपरांत आवेदन के संबंध में अनुमोदन/आवेदन के संबंध में शेष वांछित प्रकारों का अनुमोदन निदेशालय द्वारा किया जाएगा।

(4)

ਪਰਿਖਾਇ-
੧

समस्त प्रकार की मान्यताओं (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त संकाय / विषय इत्यादि) हेतु
चूनतम् आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाएः

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 चारदीवारी	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
8 पुरस्कालय सुविधा	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
9 शिक्षण अधिगम सामग्री	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
10 अग्नि शमन यंत्र की स्थापना एवं इसके परिवालन का स्टाफ को प्रशिक्षण। (10 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है)	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अग्नि शमन यंत्र की रसीद, अनिवार्य	अग्नि शमन यंत्र की रसीद, अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11.संस्था के परिसर से विद्युत की हार्डिंगेन लाइन नहीं गुजर रही हो। (10 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है)	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
12.संस्था के परिसर में मोबाइल टॉवर स्थापित नहीं है। (10 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है)	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य

(4)

समर्प संकार की मान्यताओं (नवीन मान्यता, क्रमोनन्ति, माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय इत्यादि) हेतु आवश्यक शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द

परिशिष्ट- 2

विवरण	नवीन मान्यता		क्रमोनन्ति		वर्ग परिवर्तन	दो पारी
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर		
1	2	3	4	5	6	7
संस्था प्रधान (प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य)	1	1	1	1	—	8
शिक्षक (Grade-1) / व्याख्याता	—	—	—	—	एक संकाय में 3 एवं 3 एवं विषयानुसार	विषयानुसार विषयानुसार विषयानुसार
शिक्षक (Grade-2) / वरिष्ठ अध्यापक	—	—	वरि. अध्यापक - 3	वरि. अध्यापक - 3	विषयानुसार विषयानुसार विषयानुसार	विषयानुसार विषयानुसार विषयानुसार
शिक्षक (Grade-3, RTET/REET level-2) सेकंडरी कक्षाओं में कोई अध्यापक दो से नहीं पढ़ायेगा।	—	3 (Science/Mathematics-1, Social studies-1, Language-1)	3 एवं छात्र अनुपात अनुसार	3 एवं छात्र अनुपात अनुसार	—	—
शिक्षक (Grade-3, RTET/REET level-1) पुस्तकालयाध्यक्ष	2	2	—	छात्र अनुपात अनुसार 1	छात्र अनुपात अनुपात 1 वरि.	—

(4)

शुल्क विवरण

सत्र 2023–24 हेतु नवीन मान्यता/क्रमोन्नति आदि के आवेदनों के संबंध में शुल्क विवरण

सत्र 2023–24 हेतु नवीन मान्यता के लिए शुल्क की राशि का विवरण (रुपए में)

फीस का विवरण	नवीन मान्यता			
	प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–5)		उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 1–8)	
	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
मान्यता आवेदन शुल्क (ऑनलाईन ईग्रास के माध्यम)	5,000	2,500	10,000	5,000
मान्यता शुल्क अतिरिक्त कक्षा संचालन (ऑनलाईन ईग्रास के माध्यम)	—	—	मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 7 व 8 के संचालन हेतु 40000/- अतिरिक्त मान्यता शुल्क (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु)	
डी.डी.— सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम	15,000	15,000	20000	15000
फिक्सड डिपोजिट (संस्था एवं संबंधित जिशिआ. के नाम से)	50000	50000	1,00,000	1,00,000

(संग्रह)

सत्र 2023–24 हेतु क्रमोन्नति के लिए संशोधित शुल्क की राशि का विवरण (रूपए में)

फीस का विवरण	क्रमोन्नति							
	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 के लिए)		उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 के लिए)		माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 के लिए)		कक्षा 9 से 12	
	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी	ग्रामीण
क्रमोन्नति आवेदन शुल्क (ऑनलाइन ईग्रास के माध्यम)	10000	5000	30,000	20000	40000	30000	100000	80000
क्रमोन्नति की मान्यता शुल्क अतिरिक्त कक्षा संचालन (ऑनलाइन ईग्रास के माध्यम)	मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 7 व 8 के संचालन हेतु 40,000/- अतिरिक्त मान्यता शुल्क				मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 10 के संचालन हेतु 40,000/- अतिरिक्त मान्यता शुल्क		उपरोक्त अंकित शुल्क 09 से 12 (चारों कक्षाएं) के लिए निर्धारित है।	
डी.डी.— सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम	20,000	15000	60,000	40000	1,00,000	80000	80000	
फिक्सड डिपोजिट (संस्था एवं संबंधित जिशिअ के नाम से)	1,00,000	1,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	

सत्र 2023–24 हेतु अतिरिक्त माध्यम/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त विषय हेतु
संशोधित शुल्क की राशि का विवरण (रूपए में)

फीस का विवरण	अतिरिक्त माध्यम/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त विषय							
	अतिरिक्त माध्यम			अतिरिक्त संकाय		अतिरिक्त विषय		
	कक्षा स्तर	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	
अति. माध्यम/ अति.संकाय/ अति.विषय के लिए आवेदन शुल्क (ऑनलाईन ईग्रास के माध्यम)	कक्षा 1–5	10000	6000	<u>35,000</u> प्रति संकाय	25000 प्रति संकाय	<u>10,000</u> प्रति विषय	8,000 प्रति विषय	
	कक्षा 1–8	12000	9000					
	कक्षा 1–10	20000	15000					
	कक्षा 6–10	15000	10000					
	कक्षा 9–10	20000	10000					
	कक्षा 1–12	40000	20000					
	कक्षा 6–12	30000	15000					
	कक्षा 11–12	20000	10000					
डी.डी. – सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम	कक्षा 1–5	20000	20000	<u>75,000</u> प्रति संकाय	75,000 प्रति संकाय	—	—	
	कक्षा 1–8	20000	20000					
	कक्षा 6–10	30000	30000					
	कक्षा 9–10	30000	30000					
	कक्षा 1–10	30000	30000					
	कक्षा 11–12	30000	30000					
	कक्षा 1–12	30000	30000					

फीस का विवरण	स्थान परिवर्तन			वर्ग परिवर्तन (छात्रा से सह शिक्षा को छोड़कर)/नाम/माध्यम परिवर्तन	वर्ग परिवर्तन (छात्रा विद्यालय से सह शिक्षा)
	02 किमी तक की दूरी के स्थान परिवर्तन	02 किमी से 05 किमी तक की स्थान परिवर्तन	05 किमी से अधिक तक /ग्राम पंचायत नगरपालिका/नगर निकाय/नगर निगम परिवर्तन हेतु स्थान परिवर्तन		
स्थान परिवर्तन/वर्ग/नाम/माध्यम परिवर्तन आवेदन शुल्क (ई-ग्रास के माध्यम से)	प्रावि. - 10,000	प्रावि-20,000	प्रावि-20,000	प्रावि-10,000	60000
	उप्रावि - 20,000	उप्रावि-30,000	उप्रावि-30,000	उप्रावि-20,000	70000
	मावि - 40,000	मावि-60,000	मावि-60,000	मावि-40,000	90000
	उमावि - 50,000	उमावि-70,000	उमावि-70,000	उमावि-50,000	100000
डी.डी. - सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम	प्रावि - 4000	प्रावि - 4000	शासन से स्वीकृति पश्चात 05 किमी तक पूर्व वर्णित एवं 05 किमी पश्चात प्रति किमी 10000 रुपये	प्रावि-10,000	10000
	उप्रावि - 6000	उप्रावि - 6000		उप्रावि-20,000	20000
	मावि - 7000	मावि - 7000		मावि-40,000	40000
	उमावि - 10000	उमावि - 10000		उमावि-50,000	50000

स्थान परिवर्तन के प्रकरणों के सम्बन्ध में आरटीई के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बालकों के आवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवानी होगी। आवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में विद्यालय में आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क अध्ययनरत विद्यार्थियों की कक्षा 8 तक शैक्षिक अवधि के यूनिट कॉर्स्ट (स्थान परिवर्तन के वर्ष में निर्धारित यूनिट कॉर्स्ट) की राशि राजकोष में जमा कराना अनिवार्य होगा।

संस्था सचिव इस आशय का शपथ पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा कि – संस्था द्वारा स्थान परिवर्तन किए जाने की स्थिति में आरटीई के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बालकों के आवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी, आवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में विद्यालय में आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क अध्ययनरत विद्यार्थियों की कक्षा 8 तक शैक्षिक अवधि की यूनिट कॉर्स्ट (स्थान परिवर्तन के वर्ष में निर्धारित यूनिट कॉर्स्ट) की राशि राजकोष में जमा करवा दी जावेगी एवं इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

सत्र 2023–24 हेतु विद्यालय दो पारी में संचालित करने हेतु शुल्क का विवरण

दो पारी आवेदन शुल्क		
कक्षा स्तर	ग्रामीण	शहरी
प्रावि स्तर (कक्षा 1–5)	45000	60000
उप्रावि स्तर (कक्षा 1–8)	90000	115000
मावि स्तर (कक्षा 1–10)	265000	320000
उमावि स्तर (कक्षा 1–12)	270000	325000

Virtual School की मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क

कक्षा स्तर	वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने हेतु	
	एक माध्यम	दोनों माध्यम
9–10	100000	150000
11–12	120000	175000
9–12	150000	225000

	कक्षा 9 –10	कक्षा 11–12	कक्षा 9 से 12
डी.डी.– सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम	60000	80000	100000
फिक्सड डिपोजिट (संस्था एवं संबंधित जिशिअ के नाम से)	100000	300000	300000

सत्र 2023–24 हेतु विद्यालय दो पारी में संचालित करने हेतु शुल्क का विवरण

दो पारी आवेदन शुल्क		
कक्षा स्तर	ग्रामीण	शहरी
प्रावि स्तर (कक्षा 1–5)	45000	60000
उप्रावि स्तर (कक्षा 1–8)	90000	115000
मावि स्तर (कक्षा 1–10)	265000	320000
उमावि स्तर (कक्षा 1–12)	270000	325000

Virtual School की मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क

कक्षा स्तर	वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने हेतु	
	एक माध्यम	दोनों माध्यम
9–10	100000	150000
11–12	120000	175000
9–12	150000	225000

	कक्षा 9 –10	कक्षा 11–12	कक्षा 9 से 12
ऑनलाईन चालान— सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम	60000	80000	100000
फिक्सड डिपोजिट (संस्था एवं संबंधित जिशिअ के नाम से)	100000	300000	300000

44

प्रबन्ध अन्तरण एवं मान्यता समर्पण शुल्क विवरण

फीस का विवरण				
1 आवेदन का प्रकार	2 प्राथमिक स्तर (1-5)	3 उच्च प्राथमिक स्तर (1-8)	4 माध्यमिक स्तर (1-10)	5 उच्च माध्यमिक स्तर (1-12)
प्रबन्ध अन्तरण	10000	20000	40000	50000
नाम परिवर्तन	10000	20000	40000	50000
स्वीकृति (उपरोक्त में से कोई एक अथवा दोनों प्रकार के आवेदनों में) प्रदान की जाने की स्थिति में चालान— सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम	10000	20000	40000	50000

नोट :

1. मान्यता समर्पण के लिए गैर सरकारी विद्यालय द्वारा किए गए आवेदन को निःशुल्क किया जा सकेगा।
2. सामान्य शुल्क के साथ आवेदन हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन शुल्क के साथ 10000 रुपये विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।
3. प्रत्येक गैर सरकारी विद्यालय को किसी भी प्रकार की मान्यता आवेदन की स्वीकृति मिलने पर स्वीकृति प्रमाण पत्र लेने से पूर्व अग्रानुसार राशि की फिक्सड डिपोजिट (एफडी) की प्रति संबंधित जिशिअ कार्यालय में जमा करवानी अनिवार्य होगी।

विद्यालय कक्षा स्तर	प्राथमिक स्तर (1-5)	उच्च प्राथमिक स्तर (1-8)	माध्यमिक स्तर (1-10)	उच्च माध्यमिक स्तर (1-12)
एफडी राशि की	50000	100000	300000	300000

4. विद्यालय द्वारा एक से अधिक तृतीय भाषा के संचालन हेतु आवेदन शुल्क 2000 रुपये देय होगा।

(H)

संलग्नक—1

शपथ पत्र का प्रारूप

(नोट:—प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर की समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए)

(यह शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है)

मैं.....पिता/पति.....सोसायटी का पुरा नाम
व पता.....के सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। इस सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय(संस्था) का नाम व पता.....के सम्बन्ध में, मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि—

01. संस्था भवन में बालक—बालिकाओं के लिए पृथक—2 शौचालय व मूत्रालय एवं शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है।
02. संस्था के प्रबन्ध मण्डल/सदस्य साम्प्रदायिक एवं राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं तथा ना ही भविष्य में भाग लेंगे।
03. संस्था भवन में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर दिया गया है/अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। (रसीद/प्रमाण पत्र संलग्न है)
04. संस्था परिसर में किसी प्रकार का मोबाइल टॉवर लगा हुआ नहीं है।
05. संस्था भवन व परिसर के ऊपर एवं आस—पास से विद्युत की हाई टेन्शन लाईन नहीं गुजर रही है।
06. संस्था में अध्ययनरत छात्र—छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था है एवं समय—समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है।
07. संस्था द्वारा राजस्थान गैर—सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर—सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 तथा बोर्ड की मान्यता संबंधी सभी भौतिक एवं वित्तीय शर्तों की पालना की जायेगी।
08. संस्था द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 की पालना की जायेगी।
09. संस्था में अध्ययनरत छात्र—छात्राओं के लिए शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलकूद, मनोरंजन की व्यवस्था की जायेगी।
10. संस्था द्वारा राज्य सरकार/ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही अध्ययन करवाया जायेगा।
11. संस्था द्वारा राज्य सरकार/स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कलैन्डर का पालन किया जायेगा।
12. संस्था द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) अधिनियम, 2016 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) नियम, 2017 की पालना की जायेगी तथा विद्यार्थियों से निर्धारित फीस ही ली जायेगी।
13. संस्था के विरुद्ध न्यायालय में किसी प्रकार का प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा कोई भी विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
14. संस्था के आस—पास का वातावरण प्रदूषण रहित है।
15. संस्था में सभी शिक्षक पूर्ण रूप से योग्यताधारी एवं विषयानुसार नियुक्त हैं।
16. संस्था द्वारा किसी प्रकार के राज्य/विभाग के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त कर नियमों के अन्तर्गत संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।

17. विद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का प्रतिवर्ष विद्यार्थी दुर्घटना बीमा करवाया जायेगा।
18. विद्यालय संचालन समिति द्वारा विद्यार्थियों के आवागमन हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने की स्थिति में वाहन का पंजीकरण बाल वाहिनी के रूप में करवाया जायेगा तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा संबंधी नियमों का पूर्ण पालन किया जायेगा।
19. संस्था द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) अधिनियम, 2016 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय की फीस निर्धारित कर प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर प्रविष्टि कर दी गई है/नवीन मान्यता की स्थिति में प्रविष्टि कर दी जायेगी।
20. विद्यालय द्वारा शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 12(1)ग के अंतर्गत 25 प्रतिशत निःशुल्क सीटों हेतु प्रवेश दिया जा रहा है। तथा इनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है। संस्था द्वारा भविष्य में भी इस अधिनियम की अक्षरशः पालना की जायेगी।
21. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिये रैम्प निर्धारित मापदण्डानुसार बना हुआ है। विद्यालय द्वारा **Rehabilities of Persons With Disabilities Act 2016** की पूर्ण पालना की जाएगी।
22. संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है।
23. संस्था में लिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं विषयवार प्रयोगशाला सहायकों की नियमानुसार नियुक्ति कर दी गई है।
24. संस्था में कम्प्यूटर व इंटरनेट (ब्रॉडबैंड) की व्यवस्था कर दी गई है।
25. संस्था द्वारा बिना विभाग की अनुमति के उच्च कक्षायें संचालित नहीं की जायेगी।
26. संस्था में नियुक्त अध्यापकों के वेतन से नियमानुसार पी.एफ. की कटौती की जायेगी।(प्रमाण पत्र संलग्न)
27. जिस भूमि पर विद्यालय संचालन हेतु आवेदन किया जा रहा है उस भूमि पर आवेदित संस्था द्वारा पूर्व में कोई विद्यालय संचालन/अन्य शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक गतिविधि का संचालन नहीं किया जा रहा हो। (भूमि स्वयं की होने पर)
28. विद्यालय हेतु प्रयुक्त भूमि एवं भवन पर अन्य कोई विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग, अस्पताल, आवास रूप में एवं अन्य कोई गतिविधि का संचालन नहीं किया जा रहा है।
29. विद्यालय में कार्यरत किसी भी शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक स्टॉफ/कार्मिक के विरुद्ध POCSO Act,2012 juvenile justice act 2015 and Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and Child Labour Amendment (Prohibition and Regulation) Act, 2016 आदि में से किसी भी धाराओं में मामला दर्ज नहीं है ना ही पूर्व में दण्डित किया गया है।
30. विद्यालय द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं कार्मिकों के साथ जातिगत भेदभाव नहीं किया जायेगा तथा नहीं ऐसी गतिविधियों हेतु सहभागी होगा।

यह है कि शपथ पत्र के बिन्दु संख्या..... सेमें वर्णित कथन मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण सत्य है।

सचिव

समिति का नाम.....

..

समिति का रजिस्ट्रेशन नम्बर व
वर्ष

परिशिष्ट XVI

Virtual School की मान्यता देने संबंधी चूनतम भौतिक मानदण्ड एवं शर्तें

क्र.सं.

मानदण्ड एवं शर्तें

- A संस्था के पास कक्षा स्तर के अनुसार Well Developed Hi-tech Digital Classroom Studio होना अनिवार्य है।
- B विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु E-library की व्यवस्था हो जिसमें पाठ्यक्रम सामग्री के अलावा अन्य शिक्षोपयोगी सामग्री का समावेश हो।
- C Online अध्ययन कराने वाले शिक्षकों के लिए अपने विषय के साथ-साथ कम्प्यूटर का बेसिक नॉलेज आवश्यक होगा।
- D ऑनलाईन अध्ययन हेतु High Quality एवं Frequency की Network सुविधा विद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए।
- E संस्था के पास स्वयं की Well Developed Website/ Mobile App होना अनिवार्य होगा। जिसके माध्यम से विद्यालय, प्रत्येक विद्यार्थी के डाटाबेस एवं स्टडी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को लॉगइन आइडी दिया जायेगा जिसके माध्यम से रूटीन टेस्ट एवं हॉमवर्क चेक किया जावे।
- F उक्त बिन्दुओं के साथ-साथ संस्था को विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय से भौतिक मापदण्ड साझा करने हेतु सहभागिता करनी अनिवार्य होगी।

१५

संलग्नक - 2

मान्यता हेतु वांछित दस्तावेज़ :-

आवेदन पत्र के साथ पत्रावली में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण

क्र. स.	दस्तावेज़ का विवरण
01.	सोसायटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)
02.	सोसायटी के विधान की प्रति जिसमें सोसायटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)
03.	सोसायटी की नवीनतम रजिस्टर्ड कार्यकारिणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)
04.	नवीन मान्यता/कमोन्नति— उ.प्रा., मा. तथा उ.मा.स्तर)/स्थान परिवर्तन/ नाम परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/ माध्यम परिवर्तन/अति. संकाय/अति. विषय/अति. माध्यम/दो पारी संचालन/वर्चुअल विद्यालय मान्यता आदि के संबंध में प्रबन्ध कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)
05.	विद्यालय को पूर्व में विभाग द्वारा जारी समस्त प्रकार की मान्यता/कमोन्नति आदि के आदेशों की सत्यापित प्रतियाँ (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)
06.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रतिहस्ताक्षरित नजरी/पैमाइशी नक्शा के साथ (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित) यदि भूमि उपहार विलेख से है तो उपहार विलेख की रजिस्टर्ड प्रति आवश्यक है।
07.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसाइटी की नहीं है तो रजिस्टर्ड किरायेनामे एवं किराएदाता की भूमि के मालिकाना दस्तावेज की सत्यापित प्रति। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)
08.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक/शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण के आदेश की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित) विद्यालय भवन/भूमि का प्रकार—आवासीय/कृषि/व्यावसायिक है तो संबंधित दस्तावेज।
09.	विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)
10.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की समस्त भूमि (जो एक ही परिसर में स्थित हो) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट सक्षम अधिकारी सहायक अभियंता पी.डब्ल्यूडी द्वारा जारी किया हो। जिसमें संस्था का नाम तथा विद्यालय का नाम, भूमि का प्लाट नम्बर/खसरा नम्बर तथा भूमि की नाप, आसा पासा, खेल मैदान, निर्मित भवन, भवन के कक्षों का माप (वर्गमीटर में) का मौजूदा प्लान (EXISTING PLAN) का मय दिनांक स्पष्ट अंकन हो। उक्त वांछित सूचनाओं का अंकन नहीं किये जाने पर ब्लू प्रिंट स्वीकार्य नहीं होगा।
11.	विद्यालय की आय-व्यय की सी.ए. द्वारा गत तीन वर्षों की प्रमाणित रिपोर्ट की प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन हेतु लागू नहीं)
12.	विद्यालय के पॉच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।
13.	मान्यता शुल्क का ई-ग्रास चालान
14.	विद्यालय की स्थापना वर्ष (नवीन मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करावें, नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं हेतु लागू नहीं)
15.	विभाग द्वारा विद्यालय को जारी अंतिम मान्यता/कमोन्नति आदेश की प्रति (प्रति संलग्न

4

	करें)
16	विभाग द्वारा समय— समय पर विद्यालय को जारी मान्यता क्रमोन्नति / स्वीकृत संकाय एवं संकायवार विषय/स्थान परिवर्तन/नाम परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/ माध्यम परिवर्तन/अति. संकाय/अति. विषय/अति. माध्यम/दो पारी संचालन/संस्था अंतरण आदि के आदेशों की प्रमाणित प्रति।
17	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र
18	फीस एकट की पालना किए जाने के संबन्ध में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रमाणि प्रति एवं फीस निर्धारण के संबन्ध में पारित प्रस्तावों की प्रति।
19	आरटीई अन्तर्गत निःशुल्क पर प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षा वार छात्रों की संख्या का विवरण।
20	विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अथवा नहीं, यदि हॉ तो विवरण मय प्रति सलंगन करें।.....
21	विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है अथवा नहीं, यदि है तो विवरण मय प्रति सलंगन करें।.....
22	निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र
23	किसी भी संस्था/विद्यालय द्वारा आवेदन करने पर संलग्न पैन ड्राइव में विद्यालय की भौतिक स्थिति का विडियो, जिसमें निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण करते हुए प्रत्येक कक्षा—कक्ष, छात्र—छात्रा के लिए पृथक—पृथक शौचालय एवं मूत्रालय, पेयजल, खेल मैदान, मुख्य—द्वार, प्रयोगशाला, विद्यालय की छत व सम्पूर्ण निर्माण का आकाशीय परिदृश्य प्रदर्शित किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा।

(42)

आवेदन पत्रावली को जिशिअ कार्यालय पर जमा करवाने के दौरान संलग्न दस्तावेजों की सूची

प्रबन्ध अन्तरण	नाम परिवर्तन	सम्पूर्ण मान्यता/आंशिक समर्पण
<p>1. भूमि माप संबंधी दस्तावेज (संस्था के स्वामित्व के अथवा पंजीकृत किरायानामा)</p> <p>2. विद्यालय भवन का ब्लु प्रिंट (सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)</p> <p>3. दोनों संस्थाओं (जिसके द्वारा एवं जिसको अंतरित किया जाना है) के संस्था संबंधी सभी दस्तावेज। जैसे विधान, सोसाइटी के पंजीयन की प्रमाणित प्रति, नवीनतम कार्यकारिणी की पंजीकृत प्रति</p> <p>4. पूर्व में प्राप्त समस्त मान्यता आदेशों की प्रति</p> <p>5. दोनों संस्थाओं द्वारा प्रबन्ध अंतरण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति</p> <p>6. दोनों संस्थाओं के स्थावर संपत्तियों का पृथक—पृथक विवरण</p> <p>7. सीए रिपोर्ट</p> <p>8. निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र</p> <p>9. अद्यतन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र</p> <p>10. विद्यालय एवं संबंधित जिशिअ के नाम से संयुक्त एफडीआर की प्रति</p> <p>11. विद्यालय के 05 रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।</p> <p>12. मान्यता शुल्क का ईग्रास चालान</p> <p>13. फीस एक्ट की पालना किये जाने के संबंध में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रमाणित प्रति एवं फीस निर्धारण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति</p> <p>14. आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षावार छात्रों का विवरण</p> <p>15. विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच अथवा कार्यवाही लम्बित/प्रक्रियाधीन है तो विवरण की प्रति</p> <p>16. विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है तो विवरण प्रति संलग्न करें।</p> <p>17. विद्यालय भवन अथवा भूमि के प्रकार संस्थानिक प्रयोजनार्थ की सत्यापित प्रति (यदि लागू है तो)</p>	<p>1. भूमि माप संबंधी दस्तावेज (संस्था के स्वामित्व के अथवा पंजीकृत किरायानामा)</p> <p>2. विद्यालय भवन का ब्लु प्रिंट (सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)</p> <p>3. संस्था के विधान, सोसाइटी के पंजीयन की प्रमाणित प्रति, नवीनतम कार्यकारिणी की पंजीकृत प्रति</p> <p>4. पूर्व में प्राप्त समस्त मान्यता आदेशों की प्रति</p> <p>5. संस्था द्वारा नाम परिवर्तन के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति</p> <p>6 सीए रिपोर्ट (विगत 03 वर्ष)</p> <p>7. निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र</p> <p>8. अद्यतन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र</p> <p>9. विद्यालय के 05 रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।</p> <p>10. मान्यता शुल्क का ईग्रास चालान</p> <p>11. फीस एक्ट की पालना किये जाने के संबंध में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रमाणित प्रति एवं फीस निर्धारण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति</p> <p>12. आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षावार छात्रों का विवरण</p> <p>13. विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच अथवा कार्यवाही लम्बित/प्रक्रियाधीन है तो विवरण की प्रति</p> <p>14. विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है तो विवरण प्रति संलग्न करें।</p> <p>15. विद्यालय भवन अथवा भूमि के प्रकार संस्थानिक प्रयोजनार्थ की सत्यापित प्रति (यदि लागू है तो)</p>	<p>1. भूमि माप संबंधी दस्तावेज (संस्था के स्वामित्व के अथवा पंजीकृत किरायानामा)</p> <p>2. विद्यालय भवन का ब्लु प्रिंट (सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)</p> <p>3. संस्था के विधान, सोसाइटी के पंजीयन की प्रमाणित प्रति, नवीनतम कार्यकारिणी की पंजीकृत प्रति</p> <p>4. पूर्व में प्राप्त समस्त मान्यता आदेशों की प्रति</p> <p>5. संस्था द्वारा सम्पूर्ण मान्यता /आंशिक समर्पण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति</p> <p>6 सीए रिपोर्ट (विगत 03 वर्ष)</p> <p>7. निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र</p> <p>8. अद्यतन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र</p> <p>9. विद्यालय के 05 रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।</p> <p>10. आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षावार छात्रों का विवरण</p> <p>11. विद्यार्थियों के अभिभावकों की सहमति से निकटवर्ती सरकारी विद्यालय/गैर सरकारी विद्यालय में प्रवेश करवाये जाने संबंधित सहमति पत्र</p> <p>12. विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है तो विवरण प्रति संलग्न करें।</p> <p>13. विद्यालय द्वारा बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित बकाया भुगतान नहीं होने का शपथ पत्र एवं विद्यालय में कार्यरत सभी शैक्षिक गैर शैक्षिक कार्मिक स्टाफ के वेतन भुगतान संबंधी विवरण</p>

(H)

सलंगनक-3

		A - भूमि संबंधी विवरण										
विद्यालय क्षेत्र		प्रारम्भिक			माध्यमिक							
	शहरी	ग्रामीण		शहरी	ग्रामीण							
		पंचायती पट्टा	कृषि क्षेत्र		पंचायती पट्टा	कृषि क्षेत्र						
नॉन टीएसपी	500 वर्गमीटर	500 वर्गमीटर	2000 वर्ग मीटर	1000 वर्ग मीटर	1000 वर्गमीटर	4000 वर्गमीटर						
टीएसपी	500 वर्गमीटर	500 वर्गमीटर	500 वर्गमीटर	1000 वर्ग मीटर	1000 वर्ग मीटर	1000 वर्ग मीटर						
B - कक्षा-कक्ष संबंधी विवरण												
एक माध्यम में संचालन हेतु कक्षा-कक्षों की संख्या		दोनो माध्यम में संचालन हेतु कक्षा-कक्षों की संख्या										
कक्षा स्तर	कक्षा-कक्ष संख्या एवं माप	समान कक्षा स्तर	भिन्न-भिन्न कक्षा स्तर	कक्षा-कक्ष संख्या								
1-5	05 (प्रत्येक कक्ष 6x5 वर्ग मीटर)	1-5	-	10 (प्रत्येक कक्ष 6x5 वर्ग मीटर)								
1-8	08 (05 कक्ष 6x5 वर्ग मीटर एवं 03 कक्षा-कक्ष 6x8 वर्ग मीटर)	-	1-8 एवं 1-5	13 (10 कक्ष 6x5 वर्ग मीटर एवं 03 कक्षा-कक्ष 6x8 वर्ग मीटर)								
		1-8	-	16 (10 कक्ष 6x5 वर्ग मीटर एवं 06 कक्षा-कक्ष 6x8 वर्ग मीटर)								
1-10	14 (05 कक्षा-कक्ष 6x5 वर्ग मीटर एवं 09 कक्षा-कक्ष 6x8 वर्ग मीटर)	-	1-10 एवं 1-5	19 (10 कक्षा-कक्ष 6x5 वर्ग मीटर एवं 09 कक्षा-कक्ष 6x8 वर्ग मीटर)								
		-	1-10 एवं 1-8	22 (10 कक्षा-कक्ष 6x5 वर्ग मीटर एवं 12 कक्षा-कक्ष 6x8 वर्ग मीटर)								
		1-10	-	24 (10 कक्षा-कक्ष 6x5 वर्ग मीटर एवं 14 कक्षा-कक्ष 6x8 वर्ग मीटर)								
1-12 (एक संकाय 03 विषय के साथ)	16 (05 कक्षा-कक्ष 6x5 वर्ग मीटर एवं 11 कक्षा-कक्ष 6x8 वर्ग मीटर)	-	1-12 एवं 1-5	21 (10 कक्षा-कक्ष 6x5 वर्ग मीटर एवं 11 कक्षा-कक्ष 6x8 वर्ग मीटर)								
		-	1-12 एवं 1-8	24 (10 कक्षा-कक्ष 6x5 वर्ग मीटर एवं 14 कक्षा-कक्ष 6x8 वर्ग मीटर)								
		-	1-12 एवं 1-10	26 (10 कक्षा-कक्ष 6x5 वर्ग मीटर एवं 16 कक्षा-कक्ष 6x8 वर्ग मीटर)								
		1-12	-	28 (10 कक्षा-कक्ष 6x5 वर्ग मीटर एवं 18 कक्षा-कक्ष 6x8 वर्ग मीटर)								
नोट: 1 उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों हेतु प्रत्येक अतिरिक्त 03 विषय-एक माध्यम हेतु अतिरिक्त 02 कक्षा-कक्षों एवं प्रत्येक अतिरिक्त 03 विषय-दोनो माध्यम हेतु अतिरिक्त 04 कक्षा-कक्षों की आवश्यकता होगी। उक्त कक्षा-कक्षों का माप 6X 8 वर्गमीटर माप के होने आवश्यक है।												
2. दो पारी के आवेदन के आधार पर विद्यालय के कक्षा-कक्षों की गणना उपलब्ध कक्ष से दो गुना मानकर की जाएगी।												

सम्बद्धता 2023–24 हेतु NOC जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश

विभाग द्वारा राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए एनओसी जारी करने के संबंध में निम्न दिशा—निर्देश जारी किए जाते हैं।

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के अतिरिक्त अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी विद्यालय द्वारा जिस कक्षा स्तर तक की एनओसी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाता है पूर्व में उस कक्षा स्तर की मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं है तो विद्यालय को उस न्यूनतम कक्षा स्तर की एनओसी प्रदान की जायेगी जिसकी मान्यता विद्यालय ने प्राप्त कर रखी है एवं उस कक्षा स्तर तक के सभी मापदंड विद्यालय पूर्ण करता हो।
2. एनओसी में उल्लेखित कक्षा—स्तर की अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के पश्चात् उच्च कक्षा—स्तर की संबद्धता लेने से पूर्व विद्यालय को उच्च कक्षा—स्तर की विभाग द्वारा मान्यता / क्रमोन्नति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. मान्यता / क्रमोन्नति प्रदान करते समय जो मापदंड एवं शर्तें विभाग द्वारा निर्धारित की गई है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय को प्राप्त मान्यता कक्षा स्तर की एनओसी प्रदान की जायेगी अर्थात् राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त कक्षा स्तर के सभी वर्षित मापदंड को ध्यान में रखते हुए एनओसी स्वीकृत की जायेगी।
4. संबद्धता हेतु एनओसी का आवेदन करते समय विद्यालय / संस्था, विद्यालय का नाम एवं पता पूर्व में जारी किये गये मान्यता आदेशों से मिलान कर सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में विद्यालय का नाम वही अंकित है जिस नाम से पूर्व में मान्यता / क्रमोन्नति प्रदान की गई है। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर उसे आवेदन से पूर्व ही सही करवाकर आवेदन करें। आवेदन लॉक होने के पश्चात् यदि विद्यालय के नाम / पते में संशोधन आवश्यक है तो आवेदन लॉक होने के पांच दिवस तक विद्यालय आवश्यक संशोधन कर सकेगा। पांच दिवस पश्चात् संस्था द्वारा के विद्यालय के नाम अथवा पते के संशोधन के संबंध में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन / परिवेदनाओं को शास्ति शुल्क (30000 रुपये) सहित आवेदन स्वीकार किया जाएगा। नियमानुसार परीक्षणोपरांत संशोधन जारी किया जाएगा।
5. वर्तमान में विद्यालय जिस माध्यम में संचालित किया जा रहा है। एनओसी भी उसी माध्यम के अनुरूप ही प्रदान की जायेगी। अर्थात् यदि विद्यालय हिन्दी माध्यम में संचालित है तो अन्य बोर्ड से संबद्धता प्रदान करने हेतु एनओसी भी हिन्दी माध्यम हेतु प्रदान की जायेगी।
6. विद्यालय द्वारा किये गये आवेदन में आवेदन क्रमांक में एनओसी (NOC) के अंकन के साथ वर्ष का अंकन किया जावे तत्पश्चात् आवेदन क्रमांक जनरेट हो। उदाहरण के तौर पर NOC20230001।
7. पूर्व के सत्रों में विद्यालय द्वारा विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित प्रक्रिया में शिक्षा ग्रुप—1 द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल में सुविधा उपलब्ध करवाई

जाती रही है। जिससे प्रक्रियागत विलम्ब/विद्यालयों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। शासन के आदेश दिनांक 30.03.2022 की अनुपालना में प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने हेतु प्रृष्ठ-1 के स्थान पर निदेशालय के लॉगईन में सुविधा उपलब्ध सुविधा उपलब्ध है। सीबीएसई एनओसी विलम्ब शुल्क से आवेदन किये जाने हेतु निर्धारित विलम्ब शुल्क एवं आवेदन शुल्क की राशि का डी.डी जिशिअ कार्यालय/निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर (पीएसपी अनुभाग) में जमा करवाये जाने की तिथि 30.01.2023 निर्धारित की जाती है।

8. आवेदन शुल्क/विलम्ब आवेदन शुल्क/शिथिलन शुल्क/एन.ओ.सी. शुल्क आदि समर्त प्रकार के शुल्क सचिव बालिका शिक्षा फाउन्डेशन, जयपुर के नाम से डी.डी के माध्यम से लिए जाएंगे।
9. एन.ओ.सी नवीनीकरण के आवेदन भी सामान्य आवेदनों के साथ ऑन लाईन लिए जाएंगे तथा संपूर्ण प्रक्रिया नवीन एन.ओ.सी जारी करने की प्रक्रिया की भाँति ही रहेगी।
10. सत्र 2023-24 के अनुसार निदेशालय स्तर से विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए जिशिअ कार्यालय स्तर पर गठित निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण उपरान्त जिशिअ मुख्यालय माध्यमिक कार्यालय में प्रस्तुत निरीक्षण पत्र मय पत्रावली के संबंध में जिशिअ स्तर पर गठित अनुशंसा समिति द्वारा अनुशंसित किये गए प्रकरणों को जिशिअ द्वारा मय स्पष्ट अभिशंसा निदेशालय को प्रेषित किये जाएंगे। निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी के अनुमोदन उपरांत एन.ओ.सी शुल्क प्राप्त कर निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा एन.ओ.सी जारी की जायेगी।
11. निरीक्षण दल के सदस्य
 1. प्राचार्य—दल प्रभारी
 2. उप प्राचार्य/व्याख्याता—दल सदस्य
 3. मंत्रालय कार्मिक/लेखाकर्मी—दल सदस्य
12. जिला स्तर पर अनुशंसा समिति का निम्नानुसार गठन प्रस्तावित है—
 1. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी (समकक्ष प्राचार्य) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
 2. संबंधित ब्लॉक का पीईआरो/प्राचार्य
 3. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का लेखाधिकारी
 4. संबंधित लिपिक—जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
 - उक्त गठित समिति समयबद्ध तरीके से संवीक्षा कर अनुशंसा जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।
13. निदेशालय स्तर पर गठित अनुमोदन कमेटी सदस्य
 1. उप निदेशक माध्यमिक अनुभाग
 2. जिला शिक्षा अधिकारी (पीएसपी)
 3. उप निदेशक आर.टी.ई अनुभाग
 4. सहायक निदेशक पीएसपी अनुभाग

सहायक निदेशक पीएसपी अनुभाग द्वारा समस्त आवेदित प्रकरण, अनुभाग स्तर पर परीक्षणोपरान्त अनुमोदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे।
14. निदेशालय स्तर पर जांच में आक्षेप पाए जाने की स्थिति में संबंधित संस्था/विद्यालय को आक्षेप पूर्ति हेतु 3 दिवस का समय दिया जाकर संबंधित आक्षेप की पूर्ति ऑनलाईन/ऑफलाईन किए जाने हेतु अवसर प्रदान किया जावेगा। आक्षेप पूर्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड/ऑफलाईन प्रेषित दस्तावेज संस्था सचिव द्वारा हस्ताक्षर पदनाम मोहर के साथ प्रमाणित कर भिजवाने पर ही मान्य होंगे। निर्धारित समयावधि में आक्षेप

पूर्ति नहीं किये जाने पर प्रकरण ऑटोलॉक होकर संबंधित कार्यालय के लॉगिन में प्रदर्शित होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

15. स्कूल शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के पत्रांक प. 14(8) शिक्षा-1/2009/पार्ट-8 दिनांक 30. 03.2022 के बिन्दु संख्या 12 व 13 के अनुसार निदेशालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) के संबंध में आवेदन करने वाली संस्थाओं की किसी भी स्तर पर परिवेदना होने पर एन.ओ.सी. जारी किये जाने के एक सप्ताह के भीतर विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को अपील प्रस्तुत कर सकेंगे एवं प्राप्त अपीलों का निर्स्तारण विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के स्तर पर एक सप्ताह में किया जायेगा।

४५

संबद्धता हेतु NOC शुल्क विवरण

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को CBSE/CISCE/CAIE, नई दिल्ली हेतु 2023-24 में संबद्धता हेतु
शुल्क विवरण:-

आवेदन शुल्क मय शिथिलन शुल्क (आवेदन में शिथिलन के प्रकरणों में आवेदन शुल्क के साथ शिथिलन शुल्क/विलम्ब
शुल्क जैसी भी स्थिति हो, अनिवार्य रूप से देय होगा)

क्र. सं.	विद्यालय में कक्षा संचालन स्तर	सामान्य शुल्क	विलम्ब शुल्क	एनओसी शुल्क
1. अ	आवेदन शुल्क – उ.प्रा.वि.	25000	100000	60000
ब	आवेदन शुल्क – मा.वि / उ.मा.वि. हेतु	30000	125000	75000

शिथिलन शुल्क

		वर्तमान शुल्क	
2	अ	एक सत्र के शिथिलन पर – आवेदन शुल्क मय शिथिलन शुल्क (विद्यालय कक्षा 6 के साथ 7 (उ.प्रा.वि.)/ कक्षा 9 के साथ 10 (मा.वि.)/ 11 के साथ 12 (उ.मा.वि) सत्र 2022-23 से संचालित हो रही हो) –	35000
	ब	दो सत्र के शिथिलन पर – आवेदन शुल्क मय शिथिलन शुल्क (विद्यालय कक्षा 6 के साथ 7 एवं 8 (उप्रावि)/ कक्षा 8 के साथ 9 एवं 10 (मावि)/ कक्षा 10 के साथ 11 एवं 12 (उमावि) सत्र 2022-23 से संचालित हो रही हो) –	55000
	स	तीन सत्र के शिथिलन पर – आवेदन शुल्क मय शिथिलन शुल्क (विद्यालय कक्षा 9 के साथ 10 एवं 11, 12 सत्र 2022-23 से संचालित हो रही हो) – उमावि स्तर के लिये –	75000

- जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित विद्यालय को आवेदन शुल्क/विलम्ब शुल्क/शिथिलन शुल्क/एनओसी शुल्क की राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।
- विशिष्ट विद्यालय (विशेष योग्यजन/दिव्यांग) के सम्बन्ध में आवेदन शुल्क/विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा एवं एनओसी शुल्क/शिथिलन शुल्क नियमानुसार लिया जाता है।

(र)

संलग्न—दस्तावेज सूची

1. संस्था के पंजीयन आदेश एवं विधान की प्रति
2. विद्यालय प्रबन्ध समिति की रजिस्टर्ड कार्यकारिणी की नवीनतम प्रति (जो 2 वर्ष से अधिक पुरानी ना हो)
3. विद्यालय की मान्यता, क्रमोन्नति एवं सम्बद्धता आदेश की प्रति
4. विद्यालय परिसर एवं निर्मित कक्षा-कक्षों आदि का माप दर्शित करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लूप्रिंट
5. विद्यालय भवन के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अद्यतन भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र
6. राज्य स्तरीय फीस निर्धारण कमेटी द्वारा फीस निर्धारण बाबत जारी आदेश की प्रति
7. विद्यालय भवन के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज/रजिस्टर्ड किरायानामा/रजिस्टर्ड लीजडीड की प्रति (विद्यालय की भूमि के माप के अनुसार) खेल मैदान सहित
8. विद्यालय भूमि के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ/संस्थानिक संपरिवर्तन के दस्तावेज/प्राधिकृत स्थानीय निकाय द्वारा प्रदत्त विद्यालय संचालन की अनुमति पत्र
9. नियोजित स्टॉफ का संरक्षण विवरण मय शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता, पद एवं नियोजन तिथि
10. अपेंडिक्स 2 एवं 3
11. कुल कक्ष-कक्षों का माप सहित विवरण
12. निर्धारित प्रारूप में शायथ पत्र
13. आरक्षित कोष पेटे जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था के संयुक्त नाम से राष्ट्रीकृत बैंक में निर्धारित राशि की एफडीआर
14. संस्था की गत 03 वर्ष की सी.ए. द्वारा प्रदत्त ऑडिट रिपोर्ट
15. संस्था कार्यकारिणी द्वारा आवेदन के क्रम में पारित प्रस्ताव की प्रति
16. विद्यालय में मोबाइल टायर एवं हाईटेंशन विद्युत लाईन नहीं होने का प्रमाण पत्र
17. अग्निशमन यंत्र/रैम्प होने का प्रमाण पत्र
18. अन्य वांछित/आवश्यक दस्तावेज

सम्बद्धता अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्र 2023-24 हेतु शपथ पत्र

मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय की पंजीकृत संस्था के सचिव/अध्यक्ष को 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किए जाने वाले शपथपत्र प्रारूप —

— शपथ पत्र :—

मनके पुत्र/पुत्री श्री जाति उम्र रथायी निवासी.....
 (पूर्ण पता लिखें) फोन न शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि :-

- i) विद्यालय द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 और समय-समय पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जायेगी तथा स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय रत्तीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभायी जायेगी।
- ii) राजस्थान विद्यालय (फोस का विनियमन) अधिनियम 2016, नियम 2017 की अक्षरक्षण: पालना की जायेगी।
- iii) समय-समय पर विभाग द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों की अक्षरक्षण: पालना की जायेगी।
- iv) संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अक्षरक्षण: पालना वर्तमान में की जा रही है तथा इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है और इन से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है। संस्था द्वारा भविष्य में भी इस अधिनियम की अक्षरक्षण: पालना की जायेगी। इस अधिनियम के अंतर्गत गत दो वर्षों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया तथा राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण की गई राशि का विवरण भी शपथ पत्र में दिया जाना आवश्यक है जिसका प्रारूप निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	सत्र	कक्षा कक्ष की क्षमता	कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या	आरटीई. के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों की संख्या	संबंधित जिशिअ द्वारा सत्यापित छात्र संख्या	राज्य सरकार द्वारा प्रति छात्र पुनर्भरण की देय राशि	कुल पुनर्भरण की प्राप्त राशि

- v) विभाग द्वारा जारी मान्यता/क्रमोन्नति के कक्षा स्तरों तक ही सम्बद्धता हेतु आवेदन कर सम्बद्धता प्राप्त की जायेगी।
- vi) विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा, बोर्ड/सीआईएससीई. से सम्बद्धता निलगे पर अजमेर बोर्ड से मान्यता समाप्त करवा ली जायेगी।
- vii) विद्यालय परिसर में मोबाइल टॉवर स्थापित नहीं है तथा न ही भविष्य में लगाया जायेगा।
- viii) विद्यालय में पूर्ण क्षमता व गुणवत्ता का अग्नि शमन यंत्र लगा हुआ है तथा कार्यशील अवस्था में है एवं इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ संस्था में उपलब्ध है।
- ix) विद्यालय परिसर के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत तार नहीं गुजरते हैं।
- x) विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में रेम्प निर्धारित मापदण्डानुसार है।
- xi) कार्यरत समस्त स्टाफ निर्धारित योग्यता एवं मानदण्डानुसार नियोजित है।
- xii) कार्यरत समस्त स्टाफ को प्रतिमाह नियमित रूप से वेतन भत्तों/मानदेय इत्यादि का भुगतान जरिए बैंक खाता किया जाता है।
- xiii) सचिव, सीबीएससी के परिपत्र क्रमांक CBSE/AFF-BYELAWS/Circular No.03/2019/144946 दिनांक 30.01.2019 में वर्णित सभी बिन्दुओं की पालना की गई है।
- xiv) विद्यालय द्वारा "Rehabilitation of Persons with disabilities Act 2016" की पूर्ण पालना की जायेगी।
- xv) विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है /नहीं है..... (कार्यवाही की प्रति सलग्न)
- xvi) विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है/नहीं है..... (निर्णयादेश/दण्डादेश की प्रति सलग्न)

हस्ताक्षर

शपथगृहिता (सचिव संस्था)

CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र/सम्बद्धता नवीनीकरण संबंधी ऑनलाईन
आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा

महोदय,

आवेदन का प्रकार—सम्बन्धित को टिक (✓) करे
<input type="checkbox"/> CBSE से सम्बद्धता
<input type="checkbox"/> CISCE से सम्बद्धता नवीनीकरण
<input type="checkbox"/> CAIE से सम्बद्धता
<input type="checkbox"/> CAIE से सम्बद्धता

उक्त चिन्हित विषय के क्रम में विद्यालय से सम्बन्धित सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है—

1. विद्यालय का नाम व पता

पीएसपी कोड ईमेल आईडी डाईस कोड
मोबाईल दूरभाष
विद्यालय का वर्तमान पता —

2. विभाग द्वारा पूर्व में जारी मान्यता/क्रमोन्नति आदेश क्रमांक व दिनांक

3(A) अध्यापन का भाष्यम—हिन्दी /अंग्रेजी /हिन्दी—अंग्रेजी

3(B) निर्धारित शुल्क की राशि का बालिका शिक्षा फाउण्डेशन का डी.डी नम्बर:- डी.डी दिनांक:-
(आवश्यक रूप से भरा जाना है)

4(A) नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जाने की स्थिति में CBSE/CISCE/CAIE की संबद्धता हेतु प्रदत्त एनओसी की दिनांक (पूर्व में जारी एनओसी की प्रति संलग्न करें)

4(B) CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता हेतु विभाग द्वारा पूर्व में जारी एनओसी की प्रति संलग्न करें(सम्बद्धता नवीनीकरण के आवेदन के सम्बन्ध में)

5. उच्च माध्यमिक स्तर पर संचालित संकाय एवं अध्यापन विषय —

विज्ञान संकाय
वाणिज्य संकाय
कला संकाय
कृषि विज्ञान संकाय

6. विद्यालय संचालनकर्ता संस्था का नाम व पूर्ण विवरण

1. नाम.....
2. संस्था का कार्यक्षेत्र
3. दूरभाष/मोबाईल
4. ईमेल आईडी
5. अध्यक्ष का नाम
6. सचिव का नाम
7. संस्था के पंजीयन का विवरण
पंजीयन संख्या वर्ष दिनांक

7. संस्था संविधान के अनुसार संरथा संचालन का उद्देश्य

कार्यकारिणी में कुल सदस्य संख्या

कार्यकारिणी की अन्तिम बैठक दिनांक

गत 02 तिमाही में आयोजित बैठकों की दिनांक (1) दिनांक (2)

8. संस्था कार्यकारिणी द्वारा उपर्युक्तानुसार वर्णित आवेदन हेतु बैठक में लिए गए सम्बन्धित प्रस्ताव हेतु आयोजित बैठक का विवरण

बैठक दिनांक	उपस्थित सदस्यों की संख्या	सम्बन्धित पारित प्रस्ताव का विवरण
.....
.....

(Signature)

9. गत शैक्षिक सत्र में कुल नामांकित विद्यार्थियों का कक्षानुसार संख्यात्मक विवरण (निर्धारित अग्रांकित प्रारूप में विवरण संलग्न करें)

क्र. स.	कक्षा	प्रवेशित छात्र संख्या	परीक्षा में प्रविष्ट छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्र संख्या	आर.टी.ई अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेशित छात्र संख्या	सरकार द्वारा पुनर्भरण की गई राशि

10. विद्यालय के निकट स्थापित राजकीय मावि/उमावि से दूरी किमी एवं नाम.....
 11. गत शैक्षिक सत्र में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार प्रवेशित छात्र संख्या
 12. राज्यरत्नरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा फीस निर्धारण हेतु जारी आदेश क्रमांक एवं दिनांक एवं कक्षानुसार निर्धारित फीस का विवरण (निर्धारित अग्रांकित प्रारूप में कक्षावार फीस का विवरण संलग्न करें)

क्र.स.	कक्षा (प्रत्येक कक्षा लिखें)	निर्धारित फीस राशि

13. कार्यरत स्टाफ की शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता का विवरण (निर्धारित अग्रांकित प्रारूप में विवरण संलग्न करें)

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पद	जन्मतिथि	नियोजन तिथि	शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता	वेतनमान	कुल देय वेतन

14. सम्बद्धता—माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सम्बद्धता क्रमांक दिनांक
 15. विद्यालय पूर्व में सम्बद्धता प्राप्त है तो उस बोर्ड का विवरण— CBSE/CISCE/CAIE सम्बद्धता वर्ष
 16. विद्यालय भूमि का माप (वर्गमीटर में) –
 17. विद्यालय भवन में कुल कमरों की संख्या
 18. विद्यालय की अवस्थिति शहरी / ग्रामीण
 19. विद्यालय भवन का स्वामित्व विवरण – स्वयं का स्वामित्व / लीजडीड / किराए पर
 20. विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच / कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अथवा नहीं, यदि हाँ तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।
 21. विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश / दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है अथवा नहीं, यदि है तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।
 22. आवेदन शुल्क हेतु बैंक चालान का विवरण दिनांक राशि

उक्त के क्रम में वांछित दस्तावेज संलग्न सूची के अनुसार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कृपया शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिए विद्यालय की CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र निवेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को अप्रेषित करने का श्रम करायें। विभाग द्वारा आवश्यक स्वीकृति जारी करने पर बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में जमा कराये जाने वाली राशि जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) कार्यालय में जरिए डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने की सहमति प्रदान करता हूँ।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर संस्था सचिव

मय मुहर

(Signature)

निजी विद्यालय का नाम:-आवेदन क्रमांक.....

(CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रभाण पत्र/नवीनीकरण आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 09
एवं 11 हेतु ऑटोजनरेट परिशिष्ट)

गत शैक्षिक सत्र में कुल नामांकित विद्यार्थियों का कक्षानुसार संख्यात्मक विवरण:-

क्र.सं.	कक्षा	प्रवेशित कुल छात्र संख्या	परीक्षा में प्रविष्ट छात्र संख्या	उत्तीर्ण छात्र संख्या	आरटीई अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेशित छात्र संख्या	आरटीई अधिनियम के तहत पुनर्भरण की गई राशि
1	PP3+					
2	PP4+					
3	PP5+					
4	First					
5	Second					
6	Third					
7	Fourth					
8	Fifth					
9	Sixth					
10	Seventh					
11	Eighth					
12	Ninth					
13	Tenth					
14	Eleventh (Science)					
15	Twelfth (Science)					
16	Eleventh (Arts)					
17	Twelfth (Arts)					
18	Eleventh (Commerce)					
19	Twelfth (Commerce)					
20	Eleventh (Agriculture)					
21	Twelfth (Agriculture)					

गत शैक्षिक सत्र में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं नियम 2011
के प्रावधानुसार प्रवेशित छात्र संख्या:-

○ ~ ~ ~

हस्ताक्षर

सोसाइटी सचिव

निजी विद्यालय का नाम:- आवेदन क्रमांक.....

(CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रमाण पत्र/नवीनीकरण आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 12 हेतु ऑटोजनरेट परिशिष्ट)

फीस कमेटी द्वारा निर्धारित फीस का विवरण:-

क्र.सं.	कक्षा (प्रत्येक कक्षा लिखें)	निर्धारित फीस राशि (अंग्रेजी माध्यम)	निर्धारित फीस राशि (हिन्दी माध्यम)
1	PP3+		
2	PP4+		
3	PP5+		
4	First		
5	Second		
6	Third		
7	Fourth		
8	Fifth		
9	Sixth		
10	Seventh		
11	Eighth		
12	Ninth		
13	Tenth		
14	Eleventh (Science)		
15	Twelfth (Science)		
16	Eleventh (Arts)		
17	Twelfth (Arts)		
18	Eleventh (Commerce)		
19	Twelfth (Commerce)		
20	Eleventh (Agriculture)		
21	Twelfth (Agriculture)		

हस्ताक्षर

सोसाइटी सचिव

परिशिष्ट:-1

(आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 13 हेतु विद्यालय द्वारा भरा जाने वाला परिशिष्ट)
 निजी विद्यालय का नाम:- जिला.....
 आवेदन क्रमांक..... पीएसपी कोड.....

कार्यरत समस्त कर्मचारियों का संस्थापन विवरण:-

क्र. सं	नाम कर्मचारी मय पद	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	योग्यता		वेतनमान/वेतन प्रतिमाह	भुगतान माध्यम नगद/बैंक खाते के माध्यम से	निरीक्षण दल द्वारा सत्यापन एवं टिप्पणी
				शैक्षिक	प्रशैक्षिक			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								

विद्यालय के संस्था सचिव के हस्ताक्षर मय सील

निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला निरीक्षण प्रतिवेदन

आवेदन क्रमांक.....

जिला

क्र. सं.	विवरण	विद्यालय द्वारा भरा गया विवरण	आवेदित संस्था द्वारा भरे गये विवरण का प्रस्तुत दस्तावेज एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर अनुपालन हाँ/ नहीं/ टिप्पणी (कक्षा—कक्षों/ अन्य कक्षों/ भूमि की माप वर्गमीटर में अंकित की जानी अनिवार्य	विवरण के संबंध में पत्रावली संलग्न दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या
1	निजी विद्यालय का नाम मय पीएसपी कोड विद्यालय डाईस कोड संख्या			
2	संस्था का नाम एवं संचालन का परिक्षेत्र			
3	विद्यालय सोसाईटी परिक्षेत्र में संचालित होना चाहिए— है अथवा नहीं			
4	संस्था रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक (प्रति संलग्न)			
5	रजिस्ट्रार से प्रमाणित विधान की (प्रति संलग्न)			
6	रजिस्ट्रार से प्रमाणित सोसाईटी/ न्यास/ प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नामों की प्रति (प्रति संलग्न)			
7	प्रबन्ध समिति द्वारा पारित सम्बद्धता प्रस्ताव की समर्त सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रति (प्रति संलग्न)			
8	विद्यालय को जारी मान्यता आदेश की प्रतियां	विद्यालय का स्थापना वर्ष—		
9	विद्यालय का वर्तमान संचालन स्तर — उप्रावि/भावि/उमावि (प्रति संलग्न)			
10	संस्था में अध्यापन का माध्यम— हिन्दी/अंग्रेजी/हिन्दी एवं अंग्रेजी			
11	वर्तमान में सम्बद्धता किस बोर्ड से प्राप्त है			
12	किस कक्षा स्तर हेतु सम्बद्धता आवेदन किया गया है			
13	फीस निर्धारण समिति के नियमानुसार गठन आदेश(प्रति संलग्न)			
दल—प्रभारी (हस्ताक्षर मय दिनांक)		दल सदस्य— प्रथम (हस्ताक्षर)	दल सदस्य—द्वितीय(हस्ताक्षर)	

25	कम्प्यूटर लैब जिसमें 20 कम्प्यूटर एवं इंटरनेट उपलब्ध है अथवा नहीं	औसत माप(9×12 वर्ग मी.)		
26	पुस्तकालय	निर्धारित मापदण्डानुसार है अथवा नहीं (14×8 वर्ग मी.)		
27	वाचनालय एवं बहुउद्देशीय हॉल			
28	पीडब्ल्यूडी अभियंता द्वारा जारी नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र			
29	विद्यालय में उपलब्ध छात्र-छात्राओं हेतु पृथक-पृथक कुल शौचालयों की संख्या	छात्रों हेतु — छात्राओं हेतु — कुल —		
30	छात्र संख्या अनुसार उपलब्ध दरी पट्टी/ड्यूल डेस्क/फर्नीचर	कक्षा 1 से 5 — कक्षा 6 से 8 — कक्षा 9 से 12 पृथक-पृथक—		
31	यदि पुराने भवन को परिवर्तित कराया गया है तो कारण मय आदेश प्रति मय नवीन भवन पता			
32	विद्यालय भवन, परिसर में मोबाइल टावर है अथवा नहीं			
33	विद्यालय भवन, परिसर के उपर से हाईटेंशन लाईन गुजर रही है अथवा नहीं			
34	विद्यालय में विद्युत की उपलब्धता की स्थिति			
35	विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की स्थिति			
36	विद्यालय भवन में अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है एवं इसके संचालन हेतु विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को पूर्ण जानकारी प्राप्त है अथवा नहीं			
37	विद्यालय यदि 2 पारी में संचालित है तो स्वीकृति की प्रति			
38	विद्यालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम/पंचांग अंगीकृत है अथवा नहीं			
39	आरटीई अधिनियम की पालना में 25 प्रतिशत निशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है अथवा नहीं			
40	राष्ट्रीयकृत बैंक/पोस्टऑफिस में रिज्यु फण्ड रखा गया है अथवा नहीं			
दल-प्रभारी (हस्ताक्षर मय दिनांक)		दल सदस्य- प्रथम (हस्ताक्षर)	दल सदस्य-द्वितीय(हस्ताक्षर)	

41	गत 3 सत्रों का सी.ए. द्वारा जारी वित्तीय आय-व्यय का प्रमाण पत्र		
42	नियोजित कार्मिकों के भविष्य निधि कटौति राशि (लागू होने की दशा में) मासिक राशि राजकोष में जमा करायी जाती है, निरीक्षण दल द्वारा अभिलेख से मिलान कर लिया गया है।	राशि	
43	सचिव, सीबीएससी के पत्रांक CBSE/AFF-BYELAWS/CircularNo.03/2019/144946 दिनांक 30-01-2019 को जारी परिपत्र के अनुसार पालना की गई है अथवा नहीं		
44	CBSE/CISCE से सम्बद्धता हेतु कार्यकारिणी द्वारा समस्त सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त पारित प्रस्ताव की प्रतिसंलग्न अथवा नहीं		
45	संस्था द्वारा संचालित संकाय		
46	संस्था द्वारा संचालित संकायवार विषय		
47	अपेडिक्स-2 एवं अपेडिक्स-3 विद्यालय से प्राप्त कर भरी गई समस्त सूचनाओं का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है एवं समस्त सूचनाएं सही भरी गई हैं अथवा नहीं		
48	संस्था के अध्यक्ष/सचिव द्वारा 100/-रुपए के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र (संलग्न)		
दल-प्रभारी (हस्ताक्षर मय दिनांक)		दल सदस्य- प्रथम (हस्ताक्षर)	दल सदस्य-द्वितीय(हस्ताक्षर)

(Signature)

अन्य वांछित सूचना

(क्रम संख्या 01 से 06)

- 1) विद्यालय को स्वीकृत स्तर तक शिक्षा सत्र में प्रवेशित छात्र संख्या का विवरण
निम्नांकित प्रारूप में संलग्न करावें—

क्र.स.	कक्षा अनुसार विवरण अंकित करें	कुल नामांकन	निरीक्षण दिवस को उपरिथति	आरटीई के तहत प्रवेशित छात्र संख्या
			छात्र	छात्रा

- 2) कार्यरत समस्त स्टाफ का संस्थापन विवरण निम्नांकित प्रारूप में संलग्न करावें—

क्र.स.	नाम कर्मचारी मय पद	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	योग्यता	वेतनमान/ वेतन प्रतिमाह	भुगतान माध्यम नकद/बैंक खाते के माध्यम से

- 3) गत सत्र का परीक्षा परिणाम—

कक्षा	परीक्षा में शामिल	उत्तीर्ण संख्या	उत्तीर्ण प्रतिशत
कक्षा-8			
कक्षा-10			
कक्षा-12			

- 4) विद्यालय में कक्षा 1 से 5 चालू होने की दशा में शिक्षा का स्तर टिप्पणी —

- 5) विद्यालय भवन का उपयोग शैक्षणिक विद्यालय के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ किये जाने पर निरीक्षण दल द्वारा स्पष्ट टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

- 6) समस्त दस्तावेज सुपाठ्य प्रतियो के साथ संलग्न किए जावें।

आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (सम्बद्धता/नवीनीकरण हेतु) एपेंडिक्स-2 (सम्बद्धता हेतु) एवं अपेंडिक्स-3 (नवीनीकरण हेतु), एवं अन्य भूमि एवं संस्था से सम्बन्धित दस्तावेज विद्यालय से प्राप्त कर समस्त सूचनाओं का भौतिक सत्यापन कर भरे गए प्रपत्र पत्रावली के साथ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी में जमा करवा दिए गए हैं।

उक्त विवरण के आधार पर संस्था द्वारा बाबत प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृति योग्य है एवं स्वीकृति हेतु अभिशंसा की जाती है/निम्नांकित कारणों से स्वीकृति योग्य नहीं है—

हस्ताक्षर मय दिनांक निरीक्षण दल प्रभारी	हस्ताक्षर निरीक्षण दल सदस्य-1	हस्ताक्षर निरीक्षण दल सदस्य-2
--	----------------------------------	----------------------------------

परिशिष्ट:-2

(निरीक्षण दल के बिन्दु संख्या 14 हेतु परिशिष्ट)

निजी विद्यालय का नाम:- जिला.....
आवेदन क्रमांक..... पीएसपी कोड.....

राज्य में लागू राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 नियम 2017 के अनुसार गठित फीस निर्धारण समिति की सिफारिश अनुसार कक्षावार वसूले जाने वाले शुल्क का कक्षावार विवरण:-

क्र.सं.	कक्षा	कमेटी द्वारा निर्धारित फीस	विद्यालय द्वारा वसूली जाने वाली फीस	कमेटी का नियमानुसार गठन का आदेश मय दिनांक	निरीक्षण दल की टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	PP3+				
2	PP4+				
3	PP5+				
4	First				
5	Second				
6	Third				
7	Fourth				
8	Fifth				
9	Sixth				
10	Seventh				
11	Eighth				
12	Ninth				
13	Tenth				
14	Eleventh (Science)				
15	Twelfth (Science)				
16	Eleventh (Arts)				
17	Twelfth (Arts)				
18	Eleventh (Commerce)				
19	Twelfth (Commerce)				
20	Eleventh (Agriculture)				
21	Twelfth (Agriculture)				

नोट:- बिन्दु संख्या 1 से 21 के कॉलग संख्या 2 से 5 संस्था सचिव द्वारा भरा जाना है एवं निरीक्षण दल द्वारा सत्यापन किया जाना है।

विद्यालय के संस्था सचिव के हस्ताक्षर मय सील

दल-प्रभारी (हस्ताक्षर मय दिनांक)	दल सदस्य- प्रथम (हस्ताक्षर)	दल सदस्य-द्वितीय(हस्ताक्षर)
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

(निरीक्षण दल के बिन्दु संख्या 23 हेतु परिशिष्ट)

निजी विद्यालय का नाम:-

आवेदन क्रमांक.....

जिला.....

पीएसपी कोड.....

नोट:- कक्षा कक्ष का माप मीटर में भरा जाना अनिवार्य है, अन्य किसी माप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

क्र.सं.	उपलब्ध कक्ष का प्रकार	विद्यालय द्वारा भरा जाना		निरीक्षण दल द्वारा सत्यापन कर भरा जाना	
		माप मीटर में	लम्बाई चौड़ाई	माप मीटर में	लम्बाई चौड़ाई
1	2	3	4	5	6
1	कक्षा कक्ष				
2	कक्षा कक्ष				
3	कक्षा कक्ष				
4	कक्षा कक्ष				
5	कक्षा कक्ष				
6	कक्षा कक्ष				
7	कक्षा कक्ष				
8	कक्षा कक्ष				
9	कक्षा कक्ष				
10	कक्षा कक्ष				
11	कक्षा कक्ष				
12	कक्षा कक्ष				
13	कक्षा कक्ष				
14	कक्षा कक्ष				
15	कक्षा कक्ष				
16	कक्षा कक्ष				
17	कक्षा कक्ष				
18	कक्षा कक्ष				
19	कक्षा कक्ष				
20	कक्षा कक्ष				
21	कक्षा कक्ष				
22	कक्षा कक्ष				
23	कक्षा कक्ष				
24	कक्षा कक्ष				
25	कक्षा कक्ष				
26	कक्षा कक्ष				
27	कक्षा कक्ष				
28	कक्षा कक्ष				
29	कक्षा कक्ष				
30	कक्षा कक्ष				
31	कक्षा कक्ष				
32	कक्षा कक्ष				
33	कक्षा कक्ष				
34	कक्षा कक्ष				
35	कक्षा कक्ष				

36	कक्षा कक्ष					
37	कक्षा कक्ष					
38	कक्षा कक्ष					
39	कक्षा कक्ष					
40	कक्षा कक्ष					
41	कक्षा कक्ष					
42	कक्षा कक्ष					
43	कक्षा कक्ष					
44	कक्षा कक्ष					
45	कक्षा कक्ष					
46	कक्षा कक्ष					
47	कक्षा कक्ष					
48	कक्षा कक्ष					
49	कक्षा कक्ष					
50	कक्षा कक्ष					
51	कक्षा कक्ष					
52	प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक कक्ष					
53	कार्यालय कक्ष					
54	अध्यापक कक्ष					
55	खेलकूद कक्ष					
56	भण्डार गृह					
57	सभा भवन					
58	पुस्तकालय					
59	भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला					
60	रसायन विज्ञान प्रयोगशाला					
61	जीव विज्ञान प्रयोगशाला					
62	कृषि विज्ञान प्रयोगशाला					
63	गणित प्रयोगशाला					
64	कंप्यूटर प्रयोगशाला					
65	सहशैक्षिक गतिविधि कक्ष					

नोट:- बिन्दु संख्या 1 से 64 के कॉलम संख्या 2 से 4 संस्था सचिव द्वारा भरा जाना है एवं निरीक्षण दल द्वारा कॉलम संख्या 5 व 6 में सत्यापन किया जाना है।

विधालय के संस्था सचिव के हस्ताक्षर भय सील

दल-प्रभारी (हस्ताक्षर भय दिनांक)	दल सदस्य- प्रथम (हस्ताक्षर)	दल सदस्य-द्वितीय(हस्ताक्षर)
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

4/21